मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेन्सी क्षेत्र, इन्दौर

विज्ञापन क्रमांक 06/परीक्षा/2016/05.12.2016	आनलाइन आवेदन करने की
	अंतिम तिथि 08.01.2017

राज्य सेवा परीक्षा 2017

प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 10.02.2017

प्रथम प्रश्न पत्र :	सामान्य अध्ययन	प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक
द्वितीय प्रश्न पत्र :	सामान्य अभिरुचि परीक्षण	अपरान्ह 02:15 बजे से 04:15 बजे तक

महत्वपूर्ण

राज्य सेवा परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे अभ्यर्थी, राज्य वन सेवा परीक्षा हेतु भी एक ही ऑनलाइन कामन आवेदन पत्र भर सकेगें बशर्ते कि वे राज्य वन सेवा परीक्षा में बैठने की अर्हता रखते हों। इस संबंध में आयोग का विज्ञापन क्रमांक 07/परीक्षा/2016/05.12.2016 भी देखें ।

1. राज्य सेवा परीक्षा 2017 हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किये जायेंगें । किसी भी तरह के किसी भी प्रकार का मैन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गये आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किये जावेंगें । आयु की गणना 01 जनवरी, 2017 के संदर्भ में की जायेगी ।
2. उपरोक्त परीक्षा के लिये आवेदक द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड , इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क एम. पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जावेगा । परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिये किसी बैंक का ड्राफ़्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किये जायेंगें ।
3. उपरोक्त प्रारंभिक परीक्षा 2017 के लिये ऑनलाइन आवेदन दिनांक 09.12.2016 को (दोपहर 12.00 बज़े) से दिनांक 08.01.2017 (रात्रि 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.comपर भरे जा सकेंगें। इसके पश्चात ये लिंक निष्क्रिय हो जाएगी।
4. आवेदक ऑनलाईन आवेदन पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 16.12.2016 से 10.01.2017 तक ऑनलाइन किया जा सकेगा । इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार सत्र, ₹ 50/– त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा । आवेदक त्रुटि सुधार हेतु एम. पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं ।

   आवेदक यह ध्यान रखें कि प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार मुख्य परीक्षा अथवा साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा अतः वे प्रारंभिक परीक्षा का आवेदन–पत्र अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें । यदि फ़िर भी कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें ।

   त्रुटि सुधार अवधि में श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गये अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि ₹250/– का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गये ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जायेगी ।
5. ऑनलाईन आवेदन पत्रों में आवेदक द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)/लिंग (महिला/पुरूष)/निःशक्त/भूतपूर्व सैनिक/शासकीय सेवक/जन्म तिथि आदिके आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी/वर्ग/जन्म तिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदन सरसरी तौर पर अमान्य किये जायेंगें तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा।
6. इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पद हेतु वस्तुनिष्ठ प्रारम्भिक परीक्षा दिनांक 10.02.2017 को दो सत्रों मेंआयोजित होगी। परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक 18.01.2017 से 08.02.2017 **रात्रि 12:00** तक www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर उपलब्ध रहेंगें।

7. विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनायें, प्रारम्भिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइटwww.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com एवं रोजगार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिये गए E-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेंगी। आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई–मेल पते तथा मोबाइल नंबर तथा आधार कार्ड के नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें ।

पात्रता: राज्य सेवा परीक्षा 2017 हेतु सभी स्नातक उत्तीर्ण अथवा स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी पात्र है।

8 चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/ लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

9 **आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अत: किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यवहारिक रूप से असंभव है। अत: ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आये और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा ।**

विज्ञापन का प्रकाशन ''रोजगार और निर्माण'' समाचार पत्र के आगामी अक में किया जायेगा।

01. भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से **राज्य सेवा परीक्षा** 2017के अन्तर्गत निम्नलिखित सेवाओं/पदों पर भर्ती के लिए **ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है** । वर्गवार पदों की संख्या विभागों द्वारा प्रेषित मांगपत्रों के अनुसार दर्शाई गयी है। भरी जाने वाली रिक्तियॉ निम्नानुसार है –

क्र.	पदनाम/विभाग का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				रिक्तियों मे से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की				मध्य प्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पद				मध्य प्रदेश के मूल निवासी नि:शक्तजन			कुल पद	वेतनमान
		UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	OH	VH	HH		
	द्वितीय श्रेणी																	
सामान्य प्रशासन विभाग																		
01	राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष	14	4	5	4	5	1	2	1	0	0	0	0	1	0	0	27	15600-39100 +5400 ग्रेड पे
गृह(पुलिस) विभाग																		
02	राज्य पुलिस सेवा उप पुलिस अधीक्षक	23	7	9	6	8	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	45	15600-39100 +5400 ग्रेड पे
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग																		
03	अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत)	3	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	9300-34800 +4200 ग्रेड पे
04	विकास खण्ड अधिकारी, जनपद पंचायत	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9300-34800 +3600 ग्रेड पे
महिला एवं बाल विकास विभाग																		
05	बाल विकास परियोजना अधिकारी	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9300-34800 +3600 ग्रेड पे
आदिम जाति कल्याण विभाग																		
06	क्षेत्र संयोजक/ विकास खंड अधिकारी	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9300-34800 +3600 ग्रेड पे
	तृतीय श्रेणी																	
राजस्व विभाग																		
01	नायब तहसीलदार	8	9	10	7	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	34	9300-34800 +3600 ग्रेड पे
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग																		
02	मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्रेणी "ग"	9	4	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	9300-34800 +3600 ग्रेड पे
जेल विभाग																		
03	सहायक जेल अधीक्षक	9	1	5	2	3	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	17	5200-20200 +2800 ग्रेड पे
वाणिज्यिक कर विभाग																		
04	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	0	8	13	2	0	3	4	1	0	2	2	1	0	0	0	23	5200-20200 +2800 ग्रेड पे
सहकारिता विभाग																		
05	सहकारी निरीक्षक/ सहकारिता विस्तार अधिकारी	10	3	3	2	3	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	18	5200-20200 +2800 ग्रेड पे
वाणिज्यिक कर विभाग																		
06	उप पंजीयक	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5200-20200 +2800 ग्रेड पे
	योग	**79**	**38**	**49**	**24**	**27**	**11**	**15**	**6**	**2**	**2**	**2**	**1**	**3**	**0**	**0**	**190**	

टीप : 1 तालिका में दर्शाए गए निर्धारित वेतनमान में राज्य शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे ।

2 ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व आवेदक नियमों का अवलोकन कर स्वय यह सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं । यदि कोई आवेदक परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षा फल घोषित होने के बाद भी अनर्ह (Ineligible) पाया जाता है अथवा उनके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी उम्मीदवारी/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।

3 प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन पत्र एवं बाद में प्रस्तुत होने वाले मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र में दी गई जानकारियों में भिन्नता पाई जाने पर आवेदन अस्वीकृत किया जा सकेगा।

4 **समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में है अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, निःशक्तजन तथा भूतपूर्व सैनिक आवेदकों को देय आरक्षण एवं आयु सीमा की छूट केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होंगी । अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के आवेदक अनारक्षित मान्य होंगें । जो पद उक्त वर्गों के लिये आरक्षित नहीं है उनपर इन वर्गों के आवेदक अनारक्षित के रूप में विचारित किये जायेंगें।** मध्यप्रदेश शासन व्दारा मान्य अन्य पिछडा वर्ग के क्रीमीलेयर में आने वाले आवेदकों को आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य लाभ देय नहीं होंगे। मध्यप्रदेश के ऐसे अन्य पिछड़ा वर्ग के मूल निवासी जो क्रीमिलेयर में आते हैं आवेदन में अन्य पिछड़ा वर्ग में भरने पर भी अनारक्षित वर्ग के समान ही मान्य किये जाएंगे तथा इन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा । अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व परिशिष्ठ ख बिन्दु 5 में उल्लेखित यह घोषणा पत्र (Declaration) देना होगा कि वे शासन द्वारा अभिनिर्धारित अद्यतन मापदंडों के अनुसार क्रीमीलेयर में नहीं आते हैं ।

5 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 2 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी (परिवीक्षा के संदर्भ में व्यवस्था संबंधित विभागों के भर्ती नियमों के अनुसार रहेगी)।

अत्यंत महत्वपूर्णः

आवेदक अपना **ऑनलाइन** आवेदन पत्र भरने के पहले विज्ञापन में दिए गये निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढने के बाद ही आवेदन पत्र भरे । त्रुटि सुधार अवधि के पश्चात **ऑनलाइन** आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी यथा जन्मतिथि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग , निःशक्तता ,भूतपूर्व सैनिक, शासकीय सेवक, ग्रीन कार्ड, विक्रम अवार्ड,लिंग (महिला/पुरुष)एवंपरीक्षा **केन्द्र से सम्बन्धित विवरण में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा इस सम्बन्ध में कोई पत्र व्यवहार मान्य नहीं होगा।**

02. यदि किसी भी अनारक्षित अथवा आरक्षित प्रवर्ग में महिलाओं के लिए उपरोक्तानुसार आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे रिक्त पद आगामी वर्ष के लिए अग्रणित (Carry Forward) नहीं किये जायेंगे । ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरूष उम्मीदवारों से भरे जा सकेंगे ।

03. पदों की संख्या परिवर्तनीय रहेंगी । राज्य सेवा से संबंधित किसी विभाग द्वारा यदि किसी/किन्ही पद हेतु नया मांगपत्र प्रारंभिक परीक्षा परिणाम के घोषित होने के पूर्व तक आयोग को प्रेषित किया जाता है तो वे पद इस विज्ञापन के शुद्धिपत्र के द्वारा सम्मिलित किये जाएंगे एवं इन बढ़े हुए पदों हेतु पृथक से आवेदन नहीं लिए जाएंगे तथा न ही आवेदन करने की लिंक प्रारंभ की जायेगी । विज्ञापित पदों में वृद्धि प्रारम्भिक परीक्षा के परिणाम के पूर्व तक शुद्धि पत्र द्वारा प्रकाशित की जा सकेगी, परन्तु ऐसे पदों के लिए पृथक से **ऑनलाइन** आवेदन पत्र आमंत्रित नहीं किये जायेंगे तथा इस विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त **ऑनलाइन** आवेदन पत्रों के आवेदक ही पात्र रहेंगे । पदों में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकती है।

04. अ. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध–दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :
परन्तु जहां किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चिय होने तक लंबित रखा जाएगा।

ब . कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु कोई अभ्यर्थी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा यदि उसके पूर्व में एक जीवित संतान है और आगामी प्रसव 26.01.2001 को या उसके पश्चात् होता है जिसमें दो या दो से अधिक जीवित संतानों का जन्म होता है।

05. परीक्षा योजना :–

(1) राज्य सेवा परीक्षा **निम्नलिखित चरणों में होगी** –

(1) मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिये राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रश्न ओ.एम. आर. आधारित); और

(2) सेवाओं तथा पदों के विभिन्न प्रवर्गों के लिये उम्मीदवारों के चयन हेतु राज्य सेवा मुख्य परीक्षा (लिखित विवरणात्मक)

(3) **साक्षात्कार एवं व्यक्तित्व परीक्षण**

परिशिष्ट एक में राज्य सेवा प्रारम्भिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा की परीक्षा योजना तथा परिशिष्ट दो में पाठ्यक्रम प्रकाशित

किया जा रहा है

(2) प्रारम्भिक परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों और उसके मॉडल उत्तरों की कुंजी तैयार कर आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर प्रकाशित कर ऑनलाइन पद्धति से 07 दिवस की अवधि में आपत्तियां प्राप्त की जायेंगी । इस अवधि के पश्चात प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर कोई विचार एवं पत्राचार नहीं किया जाएगा । **प्रति प्रश्न आपत्ति हेतु 100 रुपये शुल्क देय होगा तथा प्रति सत्र पोर्टल शुल्क पृथक से देय होगा। आपत्ति हेतु दिया गया शुल्क तथा पोर्टल शुल्क किसी भी स्थिति मे वापस नहीं किया जाएगा।**

प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार कर निम्नलिखित अनुसार कार्यवाही की जायेगी:-

1. ऐसे प्रश्न जिनका मॉडल कुंजी में गलत उत्तर दिया गया है और प्रश्न के वैकल्पिक उत्तरों में दूसरा सही उत्तर उपलब्ध है तब मॉडल कुंजी को संशोधित किया जायेगा।
2. आपत्तियों के आधार पर निम्नलिखित अनुसार पाये गये प्रश्नों को प्रश्नपत्र से विलोपित किया जायेगा :-
   - ऐसे प्रश्न जिसका दिये गये विकल्पों में सही उत्तर न हो ।
   - ऐसे प्रश्न जिसका दिये गये विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर हों।
   - प्रश्न के हिन्दी तथा अँग्रेजी अनुवाद मे भिन्नता हो
   - विषय **विशेषज्ञों** द्वारा समस्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात अंतिम उत्तर कुंजी बनाई जाएगी तथा आयोग द्वारा वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर प्रकाशित की जाएगी ।

(3) उपरोक्तानुसार समिति द्वारा विलोपित किए गये प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्नों के आधार पर अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार अभ्यर्थियों का मूल्यांकन कर प्रारम्भिक परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा।

06. प्रारम्भिक परीक्षा के प्रस्तावित शहर :-

कोड	शहर	कोड	शहर	कोड	शहर	कोड	शहर	कोड	शहर
01	इन्दौर	12	झाबुआ	23	बैतूल	34	शहडोल	45	अशोक नगर
02	उज्जैन	13	टीकमगढ	24	भिण्ड	35	शाजापुर	46	बुरहानपुर
03	उमरिया	14	दतिया	25	भोपाल	36	शिवपुरी	47	डिण्डोरी
04	कटनी	15	दमोह	26	मण्डला	37	श्योपुर	48	अनूपपुर
05	खण्डवा	16	देवास	27	मंदसौर	38	सतना	49	अलीराजपुर
06	खरगौन	17	धार	28	मुरैना	39	सागर	50	सिंगरोली
07	ग्वालियर	18	नरसिंहपुर	29	रतलाम	40	सिवनी	51	आगर मालवा
08	गुना	19	नीमच	30	राजगढ	41	सीधी		
09	छतरपुर	20	पन्ना	31	रायसेन	42	सीहोर		
10	छिंदवाडा	21	बडवानी	32	रीवा	43	हरदा		
11	जबलपुर	22	बालाघाट	33	विदिशा	44	होशंगाबाद		

नोटः आवेदक परीक्षा शहर कोड सावधानी पूर्वक देखकर भरें। परीक्षा शहर के संदर्भ में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अग्रमान्यता को किसी भी स्थिति में बदला नहीं जाएगा ।

<u>शहर चयन के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश</u>

अभ्यर्थी उपरोक्त तालिका में उल्लेखित शहर में से उसकी अग्रमान्यता के अनुसार अधिकतम पांच शहर चुन सकेगा। यह आवश्यक नहीं है कि आवेदक द्वारा चयनित अग्रमान्यता अनुसार ही शहर आवंटित किए जाये। आयोग प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से चयनित अग्रमान्यता क्रम से भिन्न शहर आबंटित कर सकता है तथा शहरों की संख्या कम या अधिक कर सकता है। आयोग द्वारा आवंटित केन्द्र/शहर के परिवर्तन के संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

07. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता

अभ्यर्थी, केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,1956 (अधिसूचना क्रमांक 03 सन् 1956) के अधीन समझे गए विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि धारक होना चाहिए या समतुल्य अर्हता रखता हो।

टीप–1 ऐसे अभ्यर्थी, जो किसी ऐसी परीक्षा में सम्मिलित हुए हों जिसमें उत्तीर्ण होने के पश्चात् वे आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से अर्ह हो जाएंगे किन्तु जिनका परिणाम घोषित नहीं हुआ है तथा ऐसे अभ्यर्थी भी, जो ऐसी अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित होने का आशय रखते हों, प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे। ऐसे समस्त अभ्यर्थियों के लिए जो आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अर्ह घोषित किये गये हों,

मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने की अन्तिम तारीख तक स्नातक उपाधि/समकक्ष अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम दिन तक या उसके पूर्व स्नातक उपाधि/समकक्ष अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन पत्र के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

टीप–2 ऐसे अभ्यर्थी भी, जिनके पास ऐसी व्यावसायिक या तकनीकी अर्हताएं हों, जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक या तकनीकी उपाधि के समकक्ष हों, परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे।

टीप–3 जिला/ क्षेत्र संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग के पद हेतु उन अभ्यर्थियों को अधिमान्यता दी जाएगी जिन्होने स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में लिया है । अधिमान्यता से तात्पर्य यह है कि समान अंक होने की स्थिति में अंतिम चयन में उस अभ्यर्थी को गुणानुक्रम में पहले चयनित किया जायेगा जिसने स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में लिया है ।

08. आयु सीमा एवं संगणना की तिथि–

(अ) गृह (पुलिस) विभाग,वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग,जेल विभाग तथा परिवहन विभाग के पदों हेतु अधिकतम आयु सीमा सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-4/2016/1/3, दिनांक 12/07/2016 के अनुसार निम्नानुसार रहेगा :-

न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष: - अभ्यर्थी को दिनांक 01.01.2017 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण करना अनिवार्य है।

अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष - अभ्यर्थी को दिनांक 01.01.2017 को 28 वर्ष की आयु पूर्ण नही करना चाहिए।

(ब) गृह (पुलिस) विभाग,वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, जेल विभाग तथा परिवहन विभाग के पदों को छोड़कर शेष पदों हेतु आयु सीमा निम्नानुसार रहेगी :-

(1) मध्य प्रदेश के मूल निवासियों हेतु **21 (इक्कीस) वर्ष** की आयुपूर्ण कर ली हो किन्तु **40 (चालीस) वर्ष** की आयु पूर्ण न की हो।

(2) अन्य प्रदेशों के मूल निवासियों हेतु **21 (इक्कीस) वर्ष** की आयुपूर्ण कर ली हो किन्तु **35 (पैंतीस) वर्ष** की आयु पूर्ण न की हो।

आयु की गणना 01 जनवरी, 2017 के संदर्भ में की जायेगी ।

शारीरिक मापदंड :- गृह (पुलिस) विभाग, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, जेल विभाग तथा परिवहन विभाग के पदों हेतु शारीरिक मापदंड निर्धारित है।

तदनुसार उप पुलिस अधीक्षक तथा सहायक जेल अधीक्षक हेतु शारीरिक मापदंड निम्नानुसार रहेंगेः–

09.

लिंग	ऊँचाई से.मी. में	सीने का घेरा	
		बगैर फुलाये से.मी. में	पूर्णतः फुलाने पर से.मी. में
1	2	3	4
पुरूष	168	84	89
महिला	155	सीने का माप अपेक्षित नही	सीने का माप अपेक्षित नही

10. परिशिष्ट

1. आयु सीमा में छूट हेतु परिशिष्ट–क देखें ।
2. ऑनलाईन आवेदन करने के निर्देश हेतु परिशिष्ट–ख देखें ।
3. आप्टिकल स्केनर द्वारा पढ़ी जाने वाली ओ. एम. आर. शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेशों हेतु परिशिष्ट–ग देखें ।
4. प्रारम्भिक तथा मुख्य परीक्षा की परीक्षा योजना हेतु परिशिष्ट –एक देखें।
5. प्रारम्भिक तथा मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट –दो देखें।

राज्य सेवा परीक्षा 2017, राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 के अनुसार आयोजित की जायेगी । उक्त नियम आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर प्रकाशित किये गये हैं ।

5/12/16 सचिव

परिशिष्ट–क

आयु सीमा में छूट :–

(एक) **गृह (पुलिस) विभाग, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, जेल विभाग तथा परिवहन विभाग के पदों हेतु -**
अधिकतम आयु सीमा में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-4/2016/1/3, दिनांक 12/07/2016 के अनुसार निम्नानुसार छूट देय होगी :-
आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग) /शासकीय सेवकों/ निगम/मण्डल/स्वायत्तशासी संस्थाए/ नगर सैनिकों एवं महिलाओं) तथा संबन्धित वर्दीधारी विभागों के भर्ती नियमों का अनुसरण करते हुये नियुक्त किए गए विभागीय कर्मचारियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष होगी।

(दो) अन्य पदों हेतु देय छूट निम्नानुसार है –

(अ) **अधिकतम आयु सीमा में अनुज्ञेय आयु शिथिलीकरण –**

(एक) निम्नलिखित प्रवर्गों हेतु अधिकतम आयु सीमा निम्नानुसार होगीः–

क्रमांक	आवेदक	मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए आयु सीमा (वर्ष में)	मध्य प्रदेश के बाहर के आवेदकों के लिए आयु सीमा (वर्ष में)
1.	पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	40	35
2.	पुरुष आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45	35
3.	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)	45	35
4.	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग- शासकीय/ निगम/ मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45	35
5.	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	45	35
6.	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग- शासकीय/ निगम/ मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45	35
7.	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)	45	35

(दो) नि:शक्तजन अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी।

(तीन) भूतपूर्व सैनिकों को उनके द्वारा की गई सेवा के आधार पर अधिकतम 03 वर्ष की छूट होगी जो कि अधिकतम आयुसीमा 45 वर्ष के अध्यधीन होगी ।

स्पष्टीकरण

(1) भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है"मध्य प्रदेश भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी मे रिक्तियों का आरक्षण)नियम 1985" के नियम 2 (ग) में अद्यतन संशोधन द्वारा यथा परिभाषित भूतपूर्व सैनिक।

(2) **ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को जो सैनिक सेवा में है उन्हें भूतपूर्व सैनिक का लाभ नहीं दिया जाएगा । भूतपूर्व सैनिक को ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व सेना से डिस्चार्ज होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।**

(चार) अधिकतम 2 वर्ष तकः– यदि अभ्यर्थी परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीनअपने (पति/पत्नि) नाम पर ग्रीनकार्ड धारण करता हो;

(पांच) अधिकतम 5 वर्ष तकः– यदि अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशके अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा प्रायोजित अन्तर्जातीय विवाह योजना के अधीन पुरस्कार प्राप्त सवर्ण पार्टनर हो;

(छः) अधिकतम 5 वर्ष तकः– यदि अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी–3/8/85/ 3/1, दिनांक 3 सितम्बर, 1985 के अनुसार ''विक्रम अवार्ड'' से सम्मानित खिलाड़ी होः

परन्तु उक्त शिथिलीकरण के मामले में अभ्यर्थी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात अधिकतम लाभ वाली किसी एक छूट का ही हकदार होगा।

टिप्पणी (1) समस्त छूटों को सम्मिलित करते हुए किसी भी स्थिति में, किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विहित अधिकतम आयु सीमा(45 वर्ष) से अधिक नहीं होगी।**अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 45 वर्ष या अधिक होगी वे इस विज्ञापन के अधीन आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगें।**

(2) निःशक्तजन अभ्यर्थियों को आरक्षण तथा अन्य लाभ केवल जिला चिकित्सा मण्डल द्वारा जारी न्यूनतम 40 प्रतिशत स्थायी निःशक्तता प्रमाण–पत्र के आधार पर देय होगा।

(3) आरक्षण तथा आयु सीमा में छूट के समस्त लाभ केवल मध्यप्रदेश राज्य के सन्दर्भ में उपलब्ध होंगे, अतएव अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला,निःशक्तजन तथा भूतपूर्व सैनिकों को देय आरक्षण तथा आयु सीमा में छूट तथा अन्य लाभ केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को अनुज्ञेय होंगे। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के रूप में माने जाएंगे।

(4) अभ्यर्थी को शासकीय सेवक के तौर पर आयु में छूट तभी प्रदाय की जायेगी जब वह प्रारंभिक परीक्षा से साक्षात्कार तक निरंतर शासकीय सेवक हो।

(सात) उक्त उपबंध, इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं/परिपत्रों के अधिक्रमण में है।

उक्त रियायतों के सिवाय आयु सीमा में कोई भी अन्य छूट अनुज्ञेय नहीं होगी। अभ्यर्थियों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आयोग केवल वही जन्म तिथि स्वीकार करेगा जो मैट्रिक या उच्चतर माध्यमिक शाला परीक्षा प्रमाण पत्र में या उसके समकक्ष समझी गई परीक्षा के प्रमाण पत्र में अभिलिखित की गई हो। साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन फार्म के साथ हाई स्कूल/हायर सेकण्डरी के प्रमाण पत्र/अंक सूची जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो अनिवार्य रूप से संलग्न की जाना चाहिए, इसमें असफल रहने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। आयु से संबंधित अन्य दस्तावेज जैसे जन्मपत्री, शपथ पत्र, नगर निगम सेवा अभिलेखों इत्यादिसे लिए गए जन्म संबंधी उद्धरण और इसी प्रकार के अन्य दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन पत्र में उक्त प्रक्रिया के अनुसार एक बार जन्म तिथि सत्यापित होने तथा अभिलिखित हो जाने के बाद इसमें परिवर्तन के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा तथा सभी अभ्यावदेन अमान्य होगें। प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र में दी गई जानकारियों में विसंगतियां पाई जाने पर आवेदन अस्वीकृत किया जा सकेगा।

परिशिष्ट–ख

राज्य सेवा परीक्षा 2017 केलिए ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. राज्य सेवा परीक्षा 2017 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं -

   1. ऑनलाइन आवेदन पत्र वेबसाइट पर www.mponline.gov.in, www.mppsc.com, www.mppsc.nic.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है। आवेदक MPonline के स्थापित अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से ऑनलाइन फार्म भर कर कियोस्क पर ही परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं।

   2. उपरोक्त व्यवस्था के अतिरिक्त आवेदक निम्न माध्यमों से भी शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं :
      1. स्वयं अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड (Master card/VISA/Maestro अथवा Rupay) के माध्यम से कर सकते हैं।
      2. ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं ।

   3. MPonline के अधिकृत कियोस्कों की सूची www.mponline.gov.in पर पता एवं फोन नंबर सहित उपलब्ध है।
   4. आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व अपने अद्यतन पासपोर्ट साइज की फोटो ग्राफ तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइल तैयार रखें जिसे उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा।www.mponline.gov.in के KIOSK पर स्कैनिंग की नि: शुल्क सुविधा उपलब्ध है जिसका उपयोग किया जा सकता है।
   5. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिये गये आनलाईन आवेदन पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।
   6. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी में दिये गये निर्धारित स्थान पर सही पूर्णांक, प्राप्तांक, उत्तीर्ण करने का वर्ष, औसत प्रतिशत एवं अन्य जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गयी है को सही रूप से अंकित करें।
   7. आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित की जा रही है वही प्रमाणिक जानकारी है अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र Submit करने के पूर्व आवेदक अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भलीभाँति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गई जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन Submit करें।
   8. आवेदन पत्र submit करने के बाद खुलने वाले pop up window में आवेदक को उसके द्वारा आवेदन पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात **उसका नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, लिंग, आधार कार्ड आदि की जानकारी दी जाएगी** जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी Cancel बटन दबाकर पुन: फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगें। Pop up window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमे उसके आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा ।

      अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन पत्र submit होने के बाद “proceed to payment” बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा “Payment Done” स्पष्टत: उल्लेखित होगा। आवेदक उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख करें। आवेदक उक्त आवेदन पत्र क्रमांक तथा जन्म तिथि का प्रयोग कर प्रवेश पत्र डाऊनलोड कर सकेंगें।

9. **त्रुटि सुधार सुविधा :-** आवेदक अपना आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक **16.12.2016** से 10.01.2017 तक प्रति त्रुटि सुधार सत्र रु. 50/- शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा स्वयं अथवा कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये नस्तीबद्ध किया जायेगा। एक से अधिक आवेदन पत्र की स्थिति में अतिरिक्त आवेदन पत्रों हेतु जमा शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।

ऑनलाइन आवेदन पत्रों में भरी गयी श्रेणी/ वर्ग (अनारक्षित/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)/ लिंग (महिला/पुरुष)/ शासकीय सेवक/ नि:शक्तजन) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है । अत: त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/ वर्ग परिवर्तन विषयक कोई भी पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये नस्तीबद्ध किया जायेगा ।

10. आवेदक उक्त आवेदन पत्र को सुरक्षित रखें. आवेदन पत्र में अंकित आवेदन पत्र क्रमांक व जन्म दिनांक की प्रविष्टि कर इंटरनेट के माध्यम से वे प्रवेश पत्र डाउनलोड कर प्रिंट आउट ले सकेंगे ।

11. **अत्यावश्यक :-**
यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में वर्टिकल श्रेणी (अना./ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग) गलत भरी गयी है तो उसे अनारक्षित (ओपन) के कट ऑफ मार्क्स के अंतर्गत आने पर अनारक्षित (ओपन) श्रेणी में उम्मीदवारी मान्य होगी और यदि होरीजोंटल आरक्षण (महिला/ भूतपूर्व सैनिक/ नि:शक्तजन) में गलत श्रेणी भरी है तो उसी वर्ग के ओपेन के कट ऑफ मार्क्स के अंतर्गत आने पर उस वर्ग के ओपन में उम्मीदवारी मान्य की जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए निर्देश और विधि

1. कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें। आवेदन पत्र दिनांक 09.12.2016 **को दोपहर 12.00 बजे से दिनांक 08.01.2017 को रात्रि 12.00** बजे तक ऑनलाइन भरे जा सकते हैं।

2. आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य **दिनांक 16.12.2016 को दोपहर 12.00 बजे से दिनांक 10.01.2017 को रात्रि 12.00)** बजे तकऑनलाइनकिया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार सत्र रु.50/- त्रुटि सुधार शुल्क के भुगतान के पश्चात आवेदन पत्र में वांछित सुधार किया जा सकेगा।

3. श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गये अपने आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग करने की मांग की जाती है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि रु. **250**/- का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गये आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जावेगी।

4. <u>आवेदन एवं परीक्षा शुल्कः-</u>

मप्र के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं नि:शक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क	**शेष सभी श्रेणी एवं मध्य प्रदेश से बाहर के निवासी आवेदकों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क**
रु. 250/-	**रु. 500/-**
सभी श्रेणी के आवेदकों को उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क रु. 40/- (सेवाकर सहित)अतिरिक्त देय होगा। जो अभ्यर्थी राज्य सेवा तथा वन सेवा दोनों हेतु आवेदन करेंगे उन्हें भी उपरोक्त अनुसार ही शुल्क एक बार ही देना होगा।	
टीप :-1.प्रारम्भिक परीक्षा के परिणाम के बाद आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in,www.mppsc.com तथा www.mppscdemo.in पर उपलब्ध कराये गए ऑनलाइन माड्यूल की सहायता से रु. 50/- शुल्क का भुगतान कर अभ्यर्थी उनकी OMR शीट Download कर सकेंगें। 2. सूचना के अधिकार के तहत प्रारंभिक परीक्षा की OMR शीट की फोटोकापी प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के पश्चात प्रदान की जाएगी किन्तु राज्य सेवा मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओ का अवलोकन अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के बाद आवेदक द्वारा आवेदन करने पर कराया जा सकेगा । किन्तु उत्तरपुस्तिका की फोटोकापी प्रदान नही की जायेगी।	

(प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को राज्य सेवा मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान अलग से करना होगा)

आवेदन एवं परीक्षा शुल्क एवं पोर्टल के शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य कोई राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्क धारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो एमपी ऑनलाइन के निम्न दूरभाष नंबरों पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
हेल्पलाइन – 0755-4019400

किसी भी स्थिति में आयोग को भुगतान किये गये शुल्क की वापसी के किसी भी दावे पर ना तो विचार किया जावेगा और ना ही शुल्क को किसी अन्य परीक्षा/चयन के लिये आरक्षित रखा जा सकेगा।

5. ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारीः-

मप्र लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित **राज्य सेवा परीक्षा** 2017 के लिए आवेदन पत्र वेबसाइट https://www.mponline.gov.in, www.mppscdemo.in,www.mppsc.nic.in **एवं** www.mppsc.com पर उपलब्ध हैं। आवेदक परीक्षा फार्म ऑनलाइन भरकर परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान मध्यप्रदेश राज्य के जिला, तहसील एवं ब्लाक एवं कुछ ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से किया जा सकता है। एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों की सूची के लिए https://www.mponline.gov.in पर locateKiosk/CSCsLink देखें। **आवेदक हेल्पलाइन – 0755-4019400** से भी एमपी के अधिकृत कियोस्क की जानकारी प्राप्त कर सकता है।

6. परीक्षा दिनांकः- 10.02.2017

7. इंटरनेट कैफे या स्वयं घर बैठे कम्प्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आवेदन फार्म / परीक्षा शुल्क भरने की विधिः-

आवेदक https://www.mponline.gov.inवेबसाइट के माध्यम से **होम पेज पर** CitizenServicesपर क्लिक करें इसके उपरांत Application लिंक पर जाकर MPPSC M.P. Public Service Commission बटन को क्लिक करें। अब उसे यहां निम्नानुसार आप्शन दिखाई देंगे।

Click here to Apply
Pay for unpaid Application/DuplicateReceipt
Click here to Edit
Download Admit Card Duplicate Receipt/ View Application Status
Click Here to View Advertisement

आवेदक फार्म भरने से पहले Click here to View Advertisement **को** क्लिक कर मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें। इसके उपरांत ही आवेदक Click here to Apply **को**क्लिक करें। इसके उपरांत आवेदक को स्क्रीन पर फार्म दिखाई देगा। आवेदक को फार्म में मांगी गई समस्त जानकारियां को सही-सही भरना अनिवार्य है। आवेदक को फार्म पृष्ठ पर नीचे की ओर एक बटन Upload Image दिखाई देगा। इसमें आवेदक को अपना फोटो-हस्ताक्षर सहित अटैच करना है। इस बटन के दाहिनी ओर आवेदक को फोटो-हस्ताक्षर के ***(प्रारूप हेतु इस लिंक्स)*** दिखाई देंगी। *Links.*को क्लिक करने पर फोटो हस्ताक्षर के फार्मेट का प्रिंट लेकर उचित स्थान पर फोटो चिपकाकर उसके नीचे हस्ताक्षर करें। इसके उपरांत उक्त फार्मेट को स्कैन कर jpg फार्मेट में ही सेव करें। अब आवेदक Upload Image बटन क्लिक करें इसके उपरांत जिस डायरेक्ट्री में आवेदक ने अपना फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर सेव किया है। उस डायरेक्ट्री से अपना फोटो-हस्ताक्षर सिलेक्ट कर अटैच करे।
आवेदक फार्म को पूर्ण रूप से भरने के बाद उसे अच्छी तरह पढ़ लें और यह सुनिश्चित कर ले कि फार्म में जो भी जानकारी भरी गई हैं वह सही है। यदि फार्म में कोई गलत जानकारी भर दी गई है तो पुनः उसे ठीक कर लें। इसके उपरांत ही Submit बटन दबाए। इससे आवेदक को एक आवेदन फार्म नंबर प्राप्त होगा। इसके उपरांत आवेदक परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए Proceed to Payment बटन दबाएगा तो उसे परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु निम्नानुसार आप्शन दिखाई देंगेः-

1. इंटरनेट बैंकिंग (सभी राष्ट्रीयकृत बैंक)

2. क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड (मान्य कार्ड जैसे Visa,Rupay,Master Card,Maestro card)

इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान – आवेदक चाहे तो स्वंय घर बैठे इंटरनेट या इंटरनेट कैफे के माध्यम से फार्म भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिग से कर सकता है। इसके लिये आवेदक के पास स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया

अथवा युनियन बैंक ऑफ इण्डिया की नेट बैंकिग सुविधा होना अनिवार्य है। आवेदक फार्म भरने के उपरांत Proceed to Payment का बटन दबाएगा। यहां पर उसे इंटरनेट बैंकिग आप्शन दिखाई देखा। इसे क्लिक करने पर वह अपने बैंक द्वारा प्रदान यूजर आई डी पासवर्ड डालकर लागिन होगा। इस प्रक्रिया से आवेदक अपने बैंक अकाउंट से शुल्क का भुगतान कर सकता है। सफलता पूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आवेदक को स्क्रीन पर पावती नम्बर और आवेदक का विवरण दिखाई देगा। इसका प्रिंट लेकर रसीद अवश्य ले एवं संभालकर रखे।

<u>क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान</u> – आवेदक किसी भी इंटरनेट कैफे या घर बैठे भी स्वंय इंटरनेट के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना फार्म भर सकता है। फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदक द्वारा फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिये Proceed to Payment का बटन दबाने पर कम्प्यूटर स्क्रीन पर आईसीआईसीआई बैंक का पैमेंट गेटवे दिखाई देगा। इसमें क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड का विवरण भरने के उपरांत कंफर्म बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान किया किया जा सकता है। आवेदक को परीक्षा शुल्क भुगतान प्रक्रिया सफलता पूर्वक पूर्ण होने के पश्चात कम्प्यूटराईजड रसीद प्राप्त होगी जिस पर उसकी ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारी अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को संभालकर रखे।

सफलतापूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आवेदक को स्क्रीन पर पावती नंबर और आवेदक का विवरण दिखाई देगा। इसका प्रिंट लेकर रसीद अवश्य लें।

8- एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म / परीक्षा शुल्क भरने की विधिः-
आवेदक आवेदन फार्म भरने के लिए अपने नजदीकी एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जावेगा। कियोस्क संचालक https://www.mponline.gov.in वेबसाइट ओपन कर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लागिन टाइप में कियोस्क सिलेक्ट कर लागिन करेगा। इसके उपरांत सर्विसेज में जाकर एप्लीकेशन में MPPSC सिलेक्ट कर सर्वप्रथम फार्म भरने संबंधी निर्देश और जानकारियां आवेदक को उपलब्ध कराएगा। आवेदक इन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ ले ताकि मांगी गई समस्त जानकारियां फार्म में सही भरी जा सकें। इसके उपरांत आवेदक कियोस्क संचालक को अपनी समस्त जानकारी उपलब्ध कराकर फार्म भरवा लें एवं साथ में अपना पासपोर्ट साइज का फोटो अवश्य ले जावे। कियोस्क आवेदक का फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर उचित स्थान पर अटैच करेगा। फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गईं समस्त जानकारियां अच्छी तरह पढ़ लें। आवेदक सभी जानकारियां सही-सही भरी होने के उपरांत ही कियोस्क संचालक को Proceed to Payment बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान करने का कहे। कियोस्क संचालक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर दो पृष्ठीय कम्प्यूटराइज्ड रसीद आवेदक को प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क और पोर्टल शुल्क की पूरी जानकारी अंकित रहेगी। साथ ही आवेदक से संबंधित पूर्ण जानकारी भी रसीद में अंकित होगी।
<u>आवेदक इस रसीद को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और तथा अपने पास संभालकररखें।</u>
<u>जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का ही होगा।</u>

9- यदि आवेदक के पास क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड या नेटबैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है तो भरे गये फार्म का कियोस्क के माध्यम से Pay for unpaid Application<u>/ Duplicate Receipt</u> लिंक द्वारा परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर सकता हैः-
इसके लिए आवेदक को उपरोक्त बताये गये बिन्दु में दर्शाई गई विधि अनुसार फार्म भरने के उपरांत अपने नजदीक में स्थापित एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जाकर भरे गये फार्म का आवेदन क्रमांक एवं अपनी जन्मतिथि कियोस्क संचालक को बताना होगा। इसके उपरांत कियोस्क संचालक Pay for unpaid Application/ Duplicate Receipt लिंक पर क्लिक कर उक्त जानकारियां भरकर फार्म ओपन कर लेगा। इसके उपरांत Proceed to Payment बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देगा। शुल्क भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्क संचालक आवेदक कम्प्यूटराइज्ड रसीद प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क और पोर्टल शुल्क की जानकारी के साथ आवेदक द्वारा भरी गई समस्त जानकारियाँ अंकित होंगी।

- आवेदकों से निवेदन है कि ''ऑनलाइन आवेदन'' की पावती पृष्ठ की प्रति भविष्य के लिए संभाल कर रखें।
- ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर मप्र लोक सेवा आयोग द्वारा या एमपीऑनलाइन के पास डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। परीक्षा शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर इन्हें मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जावेगा और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जावेगी।

नोटः- यदि आपको ऑनलाइन फार्म में भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाए गए दूरभाष नंबरों पर तत्काल संपर्क करें :-
एमपी ऑनलाइन लिमिटेड
निरुपम शापिंग मॉल
द्वितीय तल, अहमदपुर,
होशंगाबाद रोड, भोपाल-422026 ,हेल्पलाइन – 0755-4019400

2. अन्य निर्देश/जानकारी :–

1. राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में आवेदक का प्रवेश पूर्णतः प्रावधिक है, क्योकि आयोग ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ कोई भी प्रमाण पत्र यथा शैक्षणिक योग्यता/जन्मतिथि/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/मूल निवासी प्रमाण पत्र/ निःशक्तता/ विधवा/ परित्यक्ता /तलाकशुदा /भूतपूर्व सैनिक होने काप्रमाण पत्र आदि नहीं मांग रहा है अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न न करें । समस्त प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा **में सफ़ल आवेदकों द्वारा साक्षात्कार के पूर्व तथा अनुप्रमाणन फ़ार्म के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा जिसके** परीक्षण उपरांत आवेदक की अर्हता (eligibility) की जॉच की जाएगी ।

2. राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा ,मुख्य परीक्षा के लिये केवल अनुवीक्षण (Screening) परीक्षा होती है । उम्मीदवारों के अंतिम चयन में इस परीक्षा में प्राप्तांकों को नही जोड़ा जाएगा ।

3. राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा की अंकसूचियॉ जारी नहीं की जाती है ।

4. आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी ।

5. आवेदक को आयोग से पत्राचार करते समय अपना पूरा नाम, श्रेणी, परीक्षा का नाम, पंजीयन क्रमांक, अनुक्रमांक परीक्षा केन्द्र, पूर्ण पता तथा मोबाइल नंबर लिखना चाहिए ।

6. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित वर्तमान ई–मेल आई.डी. पर ही आयोग द्वारा आवश्यक होने पर पत्र–व्यवहार किया जाएगा । अभ्यर्थी के ई–मेल आई. डी. में परिवर्तन की दशा में अभ्यर्थी को तत्काल नये ई–मेल आई.डी. की सूचना आयोग को आवश्यक पत्र व्यवहार हेतु लिखित में देनी होगी। अभ्यर्थी द्वारा ई–मेल आई. डी. परिवर्तन की स्थिति में नये ई–मेल आई. डी. की सूचना न देने पर आवश्यक पत्र व्यवहार पुराने ई–मेल आई. डी. पर ही किया जाएगा जिसके फलस्वरूप आवेदक को पत्रादि प्राप्त न होने की स्थिति हेतु अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इस संदर्भ में आवेदक का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
आवेदक अपने वर्तमान डाक पते में परिवर्तन के संबंध में भी आयोग को तत्काल लिखित में सूचना प्रेषित करे।

7. परीक्षा के समय परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के अनुशासनिक व प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे। अनुचित साधन का उपयोग या उपयोग करने का प्रयास, दी गई ओ.एम.आर. शीट एवं प्रश्न पत्र को क्षति पहुँचाना, धोंस डपट देना, शारीरिक क्षति पहुॅचाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/अधिकारियों के निर्देशों की अवमानना करना, दुर्व्यवहार, अपशब्दों का उपयोग, अशिष्ट आचरण, परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिका जमा न करना आदि को दण्डनीय माना जायेगा ।

8. पहचान चिन्ह :– ओ.एम.आर. शीट पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक लिखें । यदि उम्मीदवार उत्तर पुस्तिका के अन्य किसी भाग पर अनुक्रमांक या अन्य अंक, अपना नाम या अन्य नाम या किसी प्रकार का चिन्ह लगायेंगें तो उसे पहचान चिन्ह बनाया माना जायेगा । ऐसे पहचान चिन्ह वाले प्रकरणों में आवेदक को नोटिस देना अनिवार्य नहीं होगा तथा बिना किसी सूचना के उसकी उम्मीदवारी तथा परीक्षा निरस्त की जा सकेगी ।

9. परीक्षा परिसर तथा साक्षात्कार कक्ष में मोबाईल फोन या अन्य संचारी यंत्र वर्जित है ।

10. उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर ले कि सभी स्थानों अर्थात उनके आवेदन पत्र, परीक्षा हाल में उपस्थिति सूची पर तथा आयोग के साथ किये गये समस्त पत्र व्यवहार में उनके व्दारा किये गये हस्ताक्षर एक समान होने चाहिए । इनमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिये यदि विभिन्न स्थानों पर उनके व्दारा किए गए हस्ताक्षरों में कोई अंतर पाया जाता है तो आयोग व्दारा उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है ।

11. आवेदक की अर्हता/पात्रता हेतु देखिए राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 के नियम 6 ,8, 9,10 एवं 12 तथा दंड/ शास्ति हेतु देखिये नियम 14

3. आवेदन की अंतिम तिथि

ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 08.01.2017 है । अंतिम तिथि को **रात्रि** 12:00 के बाद आवेदन पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जायेगी ।

4. नियोक्ता की अनापत्ति :–

जो व्यक्ति पहले से शासकीय सेवक के रूप में स्थायी या अस्थायी रूप में काम कर रहे हों या किसी काम के लिये विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, (जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नही है) या जो सार्वजनिक उद्यमों में कार्यरत है, उनको यह अभिवचन (Under taking) (जैसा कि ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र की घोषणा में छपा है) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप में अपने कार्यालय विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस पद के लिए आवेदन किया है । उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को चयन के किसी भी स्तर पर उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिये आवेदन करने से संबंद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है/उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

5. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ कोई प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता नही है । **समस्त प्रमाण पत्र साक्षात्कार के पूर्व तथा अनुप्रमाणन पत्र के साथ आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा परिणाम की सूचना में निर्धारित अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा** । अंतिम तिथि तक अनुप्रमाणन पत्र तथा वांछित अभिलेख जमा नहीं करने पर आवेदक की उम्मीदवारी समाप्त की जा

सकेगी । अंतिम तिथि तक अनुप्रमाणन पत्र तथा वांछित अभिलेख जमा करने का पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा ।

आयु संबंधी प्रमाण के लिये–केवल हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी अथवा मैट्रिक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण–पत्र जिनमें जन्मतिथि का स्पष्ट उल्लेख हो, मान्य किया जायेगा ।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र–हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी तथा उसके बाद की उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है । समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की सत्यापित अंकसूचियॉ । **उपाधि संलग्न करना आवश्यक नहीं होगा**

जाति के प्रमाण पत्र–

उच्चतर आयु सीमा में शिथिलीकरण अथवा अन्य किसी रियायत के लिए दावा करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व, प्रेषित किये जाने वाले अनुप्रमाणन फार्म के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत है, अनुप्रमाणन पत्र के साथ अनिवार्यतः संलग्न करना चाहिए। विवाहित महिलाओं के मामले में उसके पिता के नाम का उल्लेख करने वाला जाति प्रमाण–पत्र ही स्वीकार किया जाएगा। अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के मामले में जाति प्रमाण पत्रों में यह प्रमाणन आवश्यक है कि आवेदक क्रीमी लेयर में नहीं आता है । जिन प्रमाणपत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे किसी भी प्रकार की छूट हेतु मान्य नहीं किए जाएंगे।**अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व निम्न प्रारूप में घोषणा-पत्र (Declaration)देना होगा कि वे शासन द्वारा अभिनिर्धारित नवीनतम मापदंडों के अनुसार क्रीमी लेयर में नहीं आते।**

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं **राज्य सेवा परीक्षा 2017** के विज्ञापन क्रमांक **06/परीक्षा/2016**, दिनांक 05.12.2016 के अंतर्गत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। मै निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूं

1. मै ------------------पिता श्री------------------- निवासी ग्राम/कस्बा/ शहर/-------------जिला -----------,मध्य प्रदेश का/की मूल निवासी हूं। मै ----------------जाति का/की सदस्य हूं जो शासन द्वारा मध्य प्रदेश हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य है ।

2. मै यह भी घोषित करता/करती हूं कि मै शासन के नवीनतम परिपत्रों द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार क्रीमी लेयर में नहीं आता/आती हूं।

हस्ताक्षर.................................
नाम.......................................
रोल नंबर -----------------

(उक्त घोषणा-पत्र तथा जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति केवल साक्षात्कार के पूर्व प्रस्तुत किए जाने वाले अनुप्रमाणन-पत्र के साथ संलग्न करें)

यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय मूल जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति मूलतः प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उसकी अभ्यर्थिता अस्वीकृत कर दी जाएगी, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। इस संबंध में अभ्यर्थी के किसी वचन पत्र अथवा अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाएगा। वांछित प्रमाण-पत्रों के अभाव में किसी शिथिलीकरण/रियायत की पात्रता के बारे में विचार नहीं किया जाएगा।

नि:शक्तता प्रमाण पत्रः–

नि:शक्त श्रेणी के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना कमांक एफ–8–01–सत्रह–मेडि–2, दिनांक 9.1.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मंडल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है ।**अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र मे 40% या अधिक स्थायी नि:शक्तता प्रमाणित होने पर ही नि:शक्त अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।**आवेदक लिफाफे पर नि:शक्त भी लिखे । (नि:शक्तता का प्रतिशत 40 प्रतिशत या अधिक होने पर ही नि:शक्त श्रेणी के आवेदकों को देय छूटका लाभ प्राप्त होगा)।

विधवा तथा परित्यक्ता महिला अभ्यर्थी को देय छूट हेतु विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिला आवेदकों द्वारा सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण–पत्र ।

शासकीय सेवकों/ भूतपूर्व सैनिकों को देय छूट हेतु नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र ।

परिवार कल्याण कार्यक्रम हेतु देय छूट हेतु ग्रीनकार्ड ।

अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत देय छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र ।

विक्रम पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों को देय छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण पत्र ।

महत्वपूर्ण टीप :– उपरोक्त में से आवेदक द्वारा प्रस्तुत सत्यापित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

6. कदाचरण और उसके लिए **कार्यवाही** :–कोई अभ्यर्थी, जो आयोग द्वारा निम्नलिखित का दोषी पाया जाता है :–

01 जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो या वैसा करने का प्रयास किया हो, या

02 प्रतिरूपण किया हो; या

03 किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या

04 कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या

05 ऐसे कथन किए हो जो गलत और झूठे हों या जिनमें चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छिपायी हो, या

06 परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन का आश्रय लिया हो, या

07 परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या

08 परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृन्द को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या

09 उनके प्रवेश–पत्र में अभ्यर्थियों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या अन्य निर्देशों, जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृन्द द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो, या

10 परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या

11 परीक्षा समाप्त हो जाने के पश्चात् यदि अभ्यर्थी कर्तव्यरत् अधीक्षणकर्ता (इनविजिलेटर) के पास उसकी ओ.एम.आर. शीट जमा करने में असफल रहता है या ओ.एम.आर. शीट को क्षति पहुंचाता है, या

12 परीक्षा के पूर्व किसी भी रीति से प्रश्नपत्र अभिप्राप्त करता है या उसके लिए प्रयास करता है, तो आयोग–

(एक) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है निरर्ह ठहरा सकेगा और/या उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिएआयोग द्वारा, ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।

(दो) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा मे हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।

(तीन) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरूद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिएउसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा ।

7. **प्रवेश-पत्र**

01 अभ्यर्थी को राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, यदि :–

(क) वह, आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र धारण न करता हो, और

(ख) वह, आयोग द्वारा जारी विज्ञापन/प्रवेश–पत्र में उल्लिखित फोटो परिचय–पत्रों की कोई एक मूल फोटो परिचय–पत्र धारण न करता हो, और

(ग) आयोग द्वारा जारी किए गए प्रवेश–पत्र के संलग्न फोटो से उसके चेहरे का मिलान न होता हो, और

(घ) आयोग द्वारा जारी किये गये प्रवेश–पत्र में उल्लिखित नाम एवं फोटो का, आयोग द्वारा विहित उसके द्वारा लाये गए फोटोयुक्त परिचय–पत्र में उल्लिखित नाम एवं फोटो से मिलान न होता हो।

02 प्रवेश पत्र व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजे जायेंगे । प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट www.mppsc.com एवं www.mppsc.nic.in तथा https/: www.mponline.gov.in पर दिनांक 18.01.2017 से 08.02.2017तक उपलब्ध होंगे । आवेदको को वेबसाइट से ही परीक्षा के प्रवेश पत्र प्राप्त करना होंगे । इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा । प्रवेश पत्र एम. पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से डाउनलोड करने पर पांच रुपये पोर्टल शुल्क देय होगा ।

03 यदि प्रवेश पत्र प्राप्त करने में कोई समस्या आती है तो आयोग अथवा एम. पी. आनलाइन से संपर्क करें ।

04 यदि किसी आवेदक का नाम नॉमिनल रोल में सम्मिलित नहीं है परन्तु उसे प्रवेश पत्र प्राप्त हो चुका है तो वह केन्द्राध्यक्ष से मिलकर अपना प्रवेश पत्र प्रस्तुत करें । केन्द्राध्यक्ष संतुष्ट होने पर उसे उसी केन्द्र पर परीक्षा में सम्मिलित करेंगे ।

05 अत्यंत महत्वपूर्ण: आवेदक कृपया ध्यान रखें कि परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश पत्र के साथ निम्न मान्य मूल फ़ोटो युक्त पहचान प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं उससे आवेदक केपहचान की पुष्टि होने के पश्चात ही परीक्षा देने की अनुमति मिलेगी :–

1	पासपोर्ट	6	शासकीय सेवक के मामले में नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र
2	मतदाता पहचान पत्र	7	बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस की फोटोयुक्त पासबुक
3	ड्रायविंग लायसेंस	8	शैक्षणिक संस्थान द्वारा अधिकतम तीन वर्ष पूर्व तक जारी परिचय पत्र
4	पैन कार्ड	9	राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फोटो परिचय पत्र
5	आधार कार्ड (फोटोप्रति मान्य)		

परीक्षाओं मे सफ़ल आवेदकों को साक्षात्कार के समय भी फ़ोटोयुक्त पहचान पत्र की मूल प्रति तथा एक स्वप्रमाणित छायाप्रति लेकर साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना है । फ़ोटो परिचय पत्र द्वारा आवेदक की पहचान की पुष्टि न होने पर आवेदक को साक्षात्कार देने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी ।

06 आयोग व्दारा अंतिम चयन सूची जारी किये जाने के पश्चात् लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार की संयुक्त अंक सूची आवेदकों को **ऑनलाइन उपलब्ध करायी जायेगी**। आयोग व्दारा पहचान चिन्ह प्रकरण एवं अनुचित साधन प्रयोग करने वाले आवेदकों की परीक्षा निरस्त की जाएगी । अतः ऐसे आवेदकों की अंक सूची **ऑनलाइन उपलब्ध नहीं करायी जायेगी** ।

07 विज्ञापित पदों का अग्रमान्यता पत्रक साक्षात्कार के समय आवेदकों से प्राप्त किया जाता है तथा इसी अग्रमान्यता पत्रक के अनुसार गुणानुक्रम में आवेदकों का चयन किया जाता है । आवेदकों द्वारा अग्रमान्यता पत्रक प्रस्तुत करने के पश्चात् उसमें परिवर्तन/संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा । अत: अभ्यर्थी को यह सलाह दी जाती है कि वे अग्रमान्यता पत्रक भरते समय विशेष सावधानी बरते।

08 **नि:शक्त**/भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के आवेदक **अनुप्रमाणन फ़ार्म एवं अभिलेखों** के लिफाफे पर **नि:शक्त**/भूतपूर्व सैनिक स्पष्ट उल्लेख करें ।

09 मध्यप्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिये जो पद आरक्षित किए गए है ऐसे आवेदक जो स्वयं भूतपूर्व सैनिक हो (भूतपूर्व सैनिक पर आश्रित आवेदक मान्य नहीं होंगे) उन्हें भूतपूर्व सैनिक के डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में) अभिवचन पत्र तथा मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है । नमूना निम्नानुसार है :–

> अभिवचन (Undertaking) का प्रारूप
>
> मैंने राज्य सेवा परीक्षा–2017 के विज्ञापन कमांक **05/परीक्षा/2016** दिनांक ----------- के अर्न्तगत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत किया है तथा मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ । अतः भूतपूर्व सैनिक के लिये आरक्षित पद के विरूद्ध मुझे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अर्न्तगत मान्य किया जाये । भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण–पत्र संलग्न है ।
>
> हस्ताक्षर...............................
>
> नाम.....................................
>
> रोल नंबर -----------------
>
> (उक्त अभिवचन पत्र एवं प्रमाण–पत्र केवल साक्षात्कार के पूर्व प्रस्तुत किये जाने वाले अनुप्रमाणन पत्र के साथ संलग्न करे)

8 राज्य सेवा परीक्षाओं के पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देशः–

(अ) **राज्य सेवा प्रारम्भिक परीक्षा**

01. राज्य सेवा प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम केवल “रोज़गार और निर्माण” समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in , www.mppsc.com पर प्रकाशित किया जायेगा ।आवेदक को उसके परीक्षा परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जायेगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जायेगा ।

02. राज्य सेवा प्रारम्भिक परीक्षा के परीक्षा परिणाम के साथ ही मुख्य परीक्षा के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनायें प्रकाशित की जायेंगी । अत: सफ़ल आवेदक उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही मुख्य परीक्षा से संबंधित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमें प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप मुख्य परीक्षा का आवेदन पत्र राज्य सेवा प्रारम्भिक परीक्षा परिणाम में उल्लेखित मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि तक जमा करें ।

03 मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक मुख्य परीक्षा का आवेदन जमा न करने पर आवेदक की उम्मीदवारी समाप्त हो जायेगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में आवेदक को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जायेगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को बिना विचार किये नस्तीबद्ध किया जायेगा ।

(ब) राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा

01 राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा का परिणाम केवल “रोज़गार और निर्माण” समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in , www.mppsc.comपर प्रकाशित किया जायेगा ।आवेदक को उसके परीक्षा परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जायेगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जायेगा ।

02 राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा के परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनायें प्रकाशित की जायेंगी । अत: सफ़ल आवेदक उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार से संबंधित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमें प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप आयोग की

वेबसाइट www.mppsc.nic.in , www.mppsc.comपर उपलब्ध कराये गये अनुप्रमाणन पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक एवं उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करके आवश्यक पूर्तियों के पश्चात एवं सभी आवश्यक सत्यापित अभिलेख संलग्न कर, मुख्य परीक्षा परिणाम में उल्लेखित साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक आयोग कार्यालय में जमा करें । साक्षात्कार के समय आवेदन पत्र में दी गयी योग्यता, उम्र, जाति एवं अन्य जानकारियों से संबंधित प्रमाण–पत्र के साथ सभी मूल प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

03 साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि तक अभिलेख जमा न करने पर आवेदक की उम्मीदवारी समाप्त हो जायेगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में आवेदक को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जायेगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को बिना विचार किये नस्तीबद्ध किया जायेगा ।

04 केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित किया जायेगा जिन्हें अभिलेखों के सूक्ष्म परीक्षण के पश्चात अर्ह पाया जायेगा।

9 परीक्षा कक्ष में प्रवेश के पूर्व पुलिस/ केंद्र पर तैनात अधिकारी/कर्मचारी द्वारा तलाशी (Frisking) की जावेगी । जिससे कि परीक्षार्थी अपने साथ किसी भी प्रकार की वर्जित वस्तुऐं अन्दर न ले जा सके ।

परीक्षा हेतु वर्जित वस्तुए:-

सामान्यतः परीक्षाओं में ऐसा पाया गया है कि परीक्षार्थी अपने कपड़ों, कफलिंक, चश्मा, जूते-मोज़े, हाथ के बैंड, हाथ के बंधे बंधन इत्यादि में नाना प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग करते हैं। अतः परीक्षा में किसी इलेक्ट्रानिक डिवाइस के उपयोग को रोकने के लिए परीक्षा कक्ष में जूते-मोजे पहनकर प्रवेश वर्जित होगा। परीक्षार्थी चप्पल व सैंडल पहनकर आ सकते हैं । चेहरे को ढककर परीक्षा कक्ष में प्रवेश वर्जित होगा।एसेसरीज जैसे बालों को बांधने का क्लचर/ बक्कल, घड़ी, हाथ में पहने जाने वाले किसी भी प्रकार के बैंड, कमर में पहने जाने वाले बेल्ट, धूप में पहने जाने वाले चश्मे, पर्स, वालेट, टोपी वर्जित हैं।

सिर, नाक, कान, गला, हाथ, पैर, कमर में पहने जाने वाले सभी प्रकार के आभूषण तथा हाथ में बंधे धागे/ कलावा/ रक्षा सूत्र आदि का सूक्ष्मता से परीक्षण कर वीक्षकों द्वारा परीक्षार्थी के कक्ष में जाने के पूर्व तलाशी ली जाएगी ।

10. **यात्रा व्यय का भुगतान**

(अ) निम्न श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रारम्भिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु मध्य प्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी :-

1. मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो कही सेवारत न हों।
2. मध्य प्रदेश के मूल निवासी 40 % या अधिक नि:शक्त श्रेणी के अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों।

(ब) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित वर्तमान निवास के पते के शहर/ग्राम से उन्हें आबंटित परीक्षा शहर तक आने तथा जाने के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।

(स) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे भरकर अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबन्धित निम्न अभिलेखों के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा :-

1. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
2. नि:शक्तता के प्रमाणन हेतु जिला चिकित्सा मण्डल द्वारा जारी नि:शक्तता प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति ।
3. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराये की राशि का स्पष्टत: उल्लेख हो ।

(द) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा नि:शक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code का उल्लेख करना तथा साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ट की स्केन प्रति आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(इ) यात्रा व्यय भुगतान की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी अपने वर्तमान पते के निकटतम शहर को प्रथम विकल्प के केंद्र के रूप में चुने।

(फ़) जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने हेतु देय यात्रा भत्ता का ऑनलाइन भुगतान प्राप्त नहीं होता है वे इस संदर्भ में कलेक्टर/कमिश्नर कार्यालय से पत्र व्यवहार करें। इस संदर्भ में आयोग से कोई पत्र व्यवहार न करें। इस संदर्भ में आयोग में प्राप्त पत्र बिना किसी कार्यवाही के नस्तीबद्ध किए जायेंगें।

(ज) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

परिशिष्ट–ग

आप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी जाने वाली ओ.एम.आर. शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेश

टीप –ओ.एम.आर.शीट का मूल्यांकन आप्टिकल स्कैनर/कम्प्यूटर द्वारा किया जावेगा अतः ओ.एम.आर.शीट का उपयोग नीचे बताई गई बातों पर आवश्यक ध्यान रखते हुए अत्यन्त सावधानी पूर्वक करें।

1) आप अपने साथ परीक्षा कक्ष में कम से कम दो काले बाल पाईन्ट पेन अवश्य लाए।
2) गोले भरते के लिए केवल काला बाल पाईन्ट पेन का ही उपयोग करें। गोलों को पूरी तरह गहरा काला करें, अधूरा अस्पष्ट या हल्का काला करने पर ओ.एम.आर. शीट स्कैनर द्वारा नहीं जांची जा सकेगी।
3) ओ.एम.आर.शीट पर किसी प्रकार का रफकार्य न किया जाए। इस कार्य के लिए प्रश्नपत्र पर अलग से स्थान निर्धारित है।
4) ओ.एम.आर. शीट अत्यन्त सावधानीपूर्वक रखें। उसे किसी तरह से मोड़ा या काटा न जाए और किसी प्रकार से गंदी न की जाए अन्यथा कम्प्यूटर/आप्टिकल स्कैनर उसे रद्द कर देगा।
5) उत्तर देना प्रारंभ करने के पहले सुनिश्चित कर लें कि ओ.एम.आर. शीट पर सभी प्रविष्टियाँ सही रूप से की गई है।
6) आपको प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के सामने का केवल एक ही गोला काला करना है। एक से अधिक गोले को काला करने पर या गोलों को हल्का, अस्पष्ट या अधूरा काला करने पर या किसी अन्य पेन्सिल या स्याही से काला करने पर किसी अन्य तरीके से कोई निशान जैसे (✓) या (✗) लगाने पर ओ.एम.आर. शीट कम्प्यूटर/आप्टिकल स्कैनर द्वारा नहीं पढ़ी जायेगी।

7. ओ.एम.आर. शीट पर उत्तर अंकन के लिये – सामान्य निर्देश –

(अ) प्रश्नों के उत्तर : ओ.एम.आर. शीट पर यथास्थान उत्तर अंकित करने के अनुदेश दिए है। इन्हें ध्यान से पढ़े। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ओ.एम.आर. शीट पर आवश्यक संख्या लिखी है। प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के नीचे/सामने क्रमशः 4 गोले ए. बी.सी.डी. बने है। प्रश्नपत्र में प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर ए.बी.सी.डी. दिए है। इनमें से एक उत्तर सही है, सही उत्तर चुनकर संबंधित प्रश्न क्रमांक के नीचे/सामने बने गोलों में से केवल एक गोला काले बाल पाईन्ट पेन से गहरा काला करें। सेट का कोड ए.बी.सी.डी. अंकन न करने पर मूल्यांकन नहीं होगा ।

(ब) ओ.एम.आर. शीट के सामने के पृष्ठ पर अपना नाम, अनुक्रमांक, जन्मतिथि, परीक्षा तिथि, विषय का कोड आदि भरने के लिये बने खानों में प्रविष्टि के लिये काले बाल पेन का उपयोग करें। प्रश्न पत्र ABCD set में दिए जायेंगें। अपने सेट का कोड क्रमांक सावधानी से नियत स्थान पर भरें एवं सेट के गोले को काले पेन से काला करें।

(स) हस्ताक्षर – ओ.एम.आर. शीट पर निर्धारित स्थान पर बाल पेन से हस्ताक्षर करें।

(द) ओ.एम.आर. शीट के पीछे के पृष्ठ पर अनुक्रमांक, जन्मतिथि, श्रेणी, विषय संकेतांक के कॉलम के गोलों में प्रविष्टि करने के लिये काला बाल पाईन्ट पेन का उपयोग कर संबंधित क्रमांक के गोले को काला करें। अभ्यर्थी उसे आवंटित 'प्रश्न पत्र के सेट कोड ध्यान से देखें तथा सेट की जानकारी सुनिश्चित होने के पश्चात ही प्रश्न पत्र के सेट कोड के गोले को अत्यंत सावधानी से काला करें। इसी काले किए गए कोड (ABCD के गोले) के आधार पर ही उत्तरशीट का मूल्यांकन किया जायेगा। सेट कोड गलत भरने पर त्रुटि सुधार नहीं होगा। मूल्यांकन अभ्यर्थी द्वारा भरे गये सेट कोड की उत्तर कुंजी के आधार पर होगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वंय जिम्मेदार होगा ।

8. रोल नम्बर की प्रविष्टि (चित्र एक)

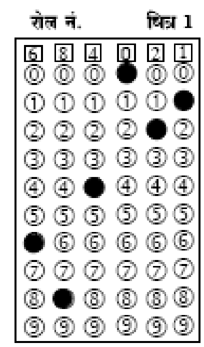

रोल नम्बर के खाने में बायें से दायें 1 से 6 तक स्तम्भ है। पहला स्तम्भ का लाख का, दूसरा स्तम्भ दस हजार का, तीसरा स्तम्भ हजार का, चौथा स्तम्भ सैकड़े का, पांचवा स्तम्भ दहाई का एवं छटा स्तम्भ इकाई का है। इनके नीचे 0 ने 9 अंक लिखे हुए गोले है। इन्हीं में आपको अपने रोल नम्बर भरना है। उदाहरणार्थ यदि आपका रोल नं. 684021 है तो आप पहले ऊपर की लाईन में चौकोर खानों में दर्शाये अनुसार रोल नम्बर काला बाल पाईन्ट पेन से लिखें तत्पश्चात पहले स्तम्भ के गोले क्रमांक 6, दूसरे स्तम्भ के गोले क्रमांक 8, तीसरे स्तम्भ के गोले क्रमांक 4, चौथे स्तम्भ के गोले क्रमांक 0, पांचवे स्तम्भ के गोले क्रमांक 2 तथा छठे स्तम्भ के गोले क्रमांक 1 को काला बाल पाईन्ट से गहरा काला करें।

अनुक्रमांक के गोले न भरने पर या गलत भरने पर OMR का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अंकों में तथा गोले भरने में भिन्नता होने पर भी ओ.एम.आर शीट का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा ।

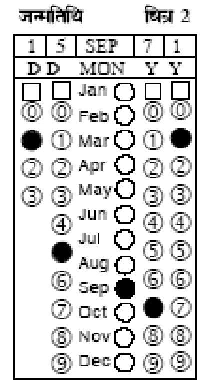

9. जन्मतिथि की प्रविष्टि (चित्र दो)

जन्मतिथि के खाने में दिनांक (DD) मास (MON) तथा वर्ष (YY) इस तरह तीन कॉलम बने है। आप अपनी जन्मतिथि के अनुसार उपर्युक्त खानों को भरे। जैसे आपकी जन्मतिथि 15 सितम्बर 1971 है तो आप (DD) के कॉलम में दहाई के खाने में 1 का तथा ईकाई के खाने में 5 का गोला गहरा काला करेंगें। मास के

कॉलम में SEP के सामने का गोला गहरा काला करेंगे तथा वर्ष के कॉलम में दहाई के खाने में 7 का तथा ईकाई के कॉलम में 1 का गोला गहरा काला करेंगें।

10. श्रेणी की प्रविष्टि (चित्र तीन)
इस खाने में 2 स्तम्भ दिये गये है पहला स्तम्भ दहाई दूसरा स्तम्भ ईकाई का है इनके नीचे 0 से 4 तक के अंक दिये गये है आप अपनी श्रेणी कोड नंबर के अनुसार उपर्युक्त गोलों को काला बाल पाईन्ट पेन से गहरा काला करें। जैसे – यदि आपकी श्रेणी 02 है तो दहाई के कॉलम में 0 तथा ईकाई के कॉलम में 2 को काला करें।**श्रेणी न भरने पर आवेदक को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा।**

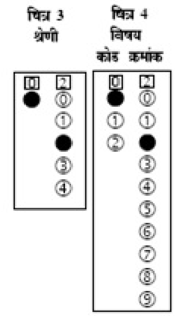

11. विषय कोड क्रमांक प्रविष्टि (चित्र चार) का तरीका उदाहरणार्थ यदि आपका विषय कोड क्रमांक 02 है तो दहाई के कॉलम में 0 को काला बाल पाईन्ट पेन से गहरा काला करें तथा ईकाई के दूसरे कॉलम में 2 को काला करें।

परीक्षार्थियों हेतु निर्देश एवं अनुदेश

निम्नलिखित निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के उपरांत ही परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हों। निर्देशों एवं अनुदेशों का पालन न करने पर परीक्षार्थी आयोग द्वारा निर्धारित दंड का भागी होगा।

एक – प्रवेश –

1. परीक्षा में परीक्षार्थी को दिया गया प्रवेश नितांत प्रावधिक है।
2. परीक्षा नियत समय पर प्रारंभ होगी। केन्द्राध्यक्ष की घड़ी का समय ही प्रामाणिक मानकर परीक्षा संचालन किया जायेगा। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् आने पर परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
3. परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश–पत्र अपने साथ रखें।
4. अर्हता सुनिश्चित करने का पूर्ण दायित्व परीक्षार्थियों का स्वयं का है वे आश्वस्त हों कि नियमों के अधीन वे परीक्षा में प्रवेश की अर्हता रखते है। यदि ऐसा न हो तो वे परीक्षा में न बैठे।
5. परीक्षा केन्द्राध्यक्ष द्वारा परीक्षार्थी की मुख्य द्वार पर जाँच की जाएगी। अतः परीक्षार्थी अपने साथ केवल दो काले बाल पाईन्ट पेन एवं प्रवेश पत्र अनिवार्य रूप से साथ ले जाऐं। इसके अतिरिक्त मोबाईल, केलक्युलेटर पेजर आदि के ले जाने की अनुमति नहीं है।

दो – निर्गमन –

1. सामान्यतः परीक्षार्थी को परीक्षा की अवधि में परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जावेगी। वीक्षक से विशेष अनुमति लेकर उनकी निगरानी में ही बाहर जाया जा सकेगा।
2. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् एक घंटे तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी। भले ही उसने प्रश्नपत्र हल कर लिया हो।
3. प्रश्नपत्र हल करने के पश्चात् केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक द्वारा ओ.एम.आर. शीट एकत्रित किये जाने के उपरांत वीक्षक की अनुमति से ही परीक्षार्थी परीक्षा भवन छोड़ेगा। ओ.एम.आर. शीट सहित कक्ष से बाहर जाना अनुचित साधन प्रयोग के समान दंडनीय है।
4. निर्धारित समय समाप्त होने के उपरांत किसी भी परीक्षार्थी को अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जायेगा(केवल दृष्टिबाधित तथा ऐसे अस्थिबाधित जो दोनों ही हाथों से लिखने में असमर्थ हैं तथा जिन्होंने सहलेखक की सुविधा ली है, ऐसे आवेदकों को प्रारंभिक परीक्षा में 20 मिनिट एवं मुख्य परीक्षा में 20 मिनिट प्रति घण्टा अतिरिक्त समय दिया जायेगा।)
   निर्धारित समय के उपरांत कोई भी परीक्षार्थी न तो लिखे उत्तरों में कोई संशोधन करेगा और न ही शेष रहे प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करेगा।

तीन – नाम और अनुक्रमांक –

ओ.एम.आर. शीट पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना नाम और अनुक्रमांक लिखे। ओ.एम.आर. शीट के अन्य किसी भी भाग पर न तो अनुक्रमांक, न अपना नाम और ना ही पता अंकित करें। ओ.एम.आर. शीट के साथ अन्य कोई सामग्री संलग्न करना वर्जित है। ओ. एम. आर. ओ.एम.आर. शीट में आपको दिये गये (A, B, C, D में से कोई एक सेट मिलेगा) प्रश्नपत्र का सेट अवश्य लिखें एवं सेट के गोले को काले पेन से काला करें। आपके द्वारा प्रश्नपत्र सेट के गोले को काला करने पर ही उक्त सेट की उत्तर कुंजी से ही इसका मूल्यांकन होगा। जैसा चित्र में सेट–B को काला किया है।

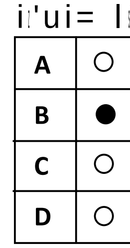

चार – अनुचित साधन –

परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व सुनिश्चित करें कि उनकी सीट के निकट, उनके पास कम्पास, स्केल या पॉकेट में कोई अवांछित सामग्री, कोई पुस्तक या अनावश्यक कागज Electronic Gadget इत्यादि जो परीक्षा में प्रश्नपत्र हल करने में सहायक हो, न हों,वे अनुचित साधन के प्रयोग से बचें।

परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनो का प्रयोग सर्वथा वर्जित व दण्डनीय है। परीक्षा भवन में अपने साथ कोई भी लिखित या कोरा कागज, पुस्तक, वस्तु, टीप विशेषकर मोबाइल, इलेक्ट्रानिक उपकरण तथा अन्य वर्जित वस्तुएं आदि लाना अनुचित साधनों के

प्रयोग में सम्मिलित माना जायेगा। इसी प्रकार परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से चर्चा करना, उसकी ओ.एम.आर.शीट से नकल करना अथवा अपनी शीट से अन्य परीक्षार्थी को नकल करवाना, किसी अन्य परीक्षार्थी से ओ.एम.आर. शीट बदलना, परीक्षा भवन में बोलना अथवा किसी प्रकार से अन्य परीक्षार्थी को किसी प्रश्न का उत्तर बताना अथवा किसी अन्य परीक्षार्थी से किसी प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने का कोई प्रयास करना या किसी कागज पर प्रश्न पत्र की नकल करना भी अनुचित साधनों के प्रयोग के अन्तर्गत माना जायेगा। परीक्षा भवन में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर परीक्षार्थी द्वारा दी गई परीक्षा को निरस्त किया जा सकेगा, उसे परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा तथा साथ ही उसे आगामी ऐसी अवधि के लिये जो आयोग उचित समझे आयोग की सभी परीक्षाओं, अन्य आयोगों की परीक्षा एवं साक्षात्कारों से वंचित किये जाने का दण्ड भी दिया जा सकेगा।

परीक्षा की गोपनीयता :- ऐसे अभ्यर्थी जो प्रश्न-पत्र के लीक होने की गतिविधि में लिप्त पाये जाते है उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाएगा तथा अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी।

पांच – प्रश्न पत्र संबन्धित शिकायत –
यदि किसी परीक्षार्थी को प्रश्नपत्र से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत हो तो उसे परीक्षा के माडल उत्तर प्रकाशन के 07 दिन के अंदर निर्धारित शुल्क (100 रुपये प्रति प्रश्न तथा पोर्टल चार्ज) जमा कर ऑनलाइन पद्धति से दर्ज कराये । परीक्षा के माडल उत्तर प्रकाशन के 07 दिन के अंदर ऑनलाइन पद्धति से दर्ज शिकायतों पर ही विचार किया जायेगा। इसके पश्चात प्राप्त आवेदनों को नस्तीबद्ध किया जाएगा।

छः – ओ.एम.आर.शीट का लौटाना –
परीक्षा के उपरान्त ओ.एम.आर. शीट कक्ष के वीक्षक को ही सौपेंगें। परीक्षार्थी द्वारा किसी भी स्थिति में ओ.एम.आर. शीट परीक्षा कक्ष से बाहर ले जाना अथवा परीक्षा के उपरांत उसे वापस न दिया जाना कदाचरण माना जायेगा और उसके लिये उसे उस तरह दंडित किया जावेगा, जिस तरह अनुचित साधनों के प्रयोग से दंडित किये जाने का प्रावधान है।

सात – ओ.एम.आर.शीट पर अनुक्रमांक अंकन व अन्य पूर्तियाँ –
1. ओ.एम.आर.शीट पर नियत स्थान पर परीक्षार्थी अपना सही नाम और अनुक्रमांक शब्दों एवं अंकों में अंकित करें तथा परीक्षा का विषय कोड के सही गोले भरे। साथ ही प्रश्न पत्र सेट और भी अत्यंत सावधानी से भरें एवं सेट के गोले को काला करें।
2. ओ.एम.आर. शीट पर कोई दाग/चिन्ह न लगने पाए, इस बात की सतर्कता बरतें।

आठ – प्रश्नपत्र पर अंकन –
परीक्षार्थी प्रश्नपत्र पर भी अनुक्रमांक लिखे तथा रफ कार्य प्रश्नपत्र में दिये गये पृष्ठ पर ही करें इसके अतिरिक्त प्रश्नपत्र पर कुछ भी लिखना, प्रश्नपत्र की नकल करना या उसकी प्रति बनाना निषिद्ध होकर अनुचित साधन प्रयोग के समान दण्डनीय है।

नौ – उपस्थिति पत्रक –
प्रत्येक प्रश्नपत्र के समय परीक्षा कक्ष में वीक्षक के समक्ष परीक्षार्थी तिथि सहित अपने हस्ताक्षर करें। यह हस्ताक्षर नमूने के हस्ताक्षर के अनुरूप हों। हस्ताक्षर के नीचे अपना नाम भी लिखें।

दस- सहलेखक
दृष्टिबाधित तथा ऐसे नि:शक्तजन जो दोनों हाथों से लिखने में असमर्थ है उन्हें प्रारम्भिक तथा मुख्य परीक्षा में 20 मिनट प्रतिघन्टा अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा तथा सहलेखक के उपयोग की अनुमति प्रदान की जाएगी। इस संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार है:-

(अ) उक्त श्रेणी के केवल ऐसे नि:शक्तजन को अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा जो सहलेखक का प्रयोग करेंगें ।
(आ) सहलेखक की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं करनी होगी। आयोग द्वारा सहलेखक उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।
(इ) सहलेखक की शैक्षणिक अर्हता हाईस्कूल/ हायर सेकेन्डरी से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी को उसके सहलेखक का मूल फोटो युक्त मान्य परिचय पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
(मान्य परिचय-पत्र सूची हेतु देखें परिशिष्ट-2 बिन्दु -7 (5))
(ई) सह लेखक को किसी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा मानदेय का भुगतान आयोग द्वारा नहीं किया जाएगा।
(उ) सहलेखक के प्रयोग की अनुमति केंद्राध्यक्ष द्वारा दी जाएगी इस हेतु अभ्यर्थी पर्याप्त समय पूर्व केंद्राध्यक्ष से संपर्क करें।
(ऊ) सहलेखक सुविधा की अनुमति हेतु अभ्यर्थी को जिला चिकित्सा मण्डल/ सम्भागीय चिकित्सा मण्डल/ राज्य चिकित्सा मण्डल द्वारा जारी नि:शक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

ग्यारह – विविध –
1. परीक्षार्थियों को किसी भी प्रश्नपत्र में ग्राफ पेपर या नक्शा/स्टेंन्सिल उपलब्ध नहीं कराया जायेगा और परीक्षार्थी स्वयं भी ग्राफ पेपर या नक्शा/स्टेंन्सिल परीक्षा भवन में नहीं लाऐंगें।
2. परीक्षार्थियों को अपने साथ डिजीटल डायरी, वॉच, केल्क्यूलेटर, सेल्युलर फोन, पेजर तथा अन्य electronic gadgets लाना वर्जित है।

बारह – परीक्षार्थी ओ.एम.आर. शीट एवं प्रश्नपत्रों पर दी गई समस्त सूचनाएं/निर्देश एवं अनुदेश ध्यानपूर्वक पढ़ें व अनिवार्यता से उनका पालन करें।

तेरह – अनुशासन व शालीनता –

1. परीक्षा कक्ष में धूम्रपान करना / अशिष्ट, अनर्गल वार्तालाप करना पूर्णतः निषिद्ध व दण्डनीय है।
2. परीक्षा परिसर में एवं भवन के अन्दर वीक्षक व केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का पालन अनिवार्य है।
3. परीक्षा भवन के फर्नीचर अथवा केन्द्र पर की गई अन्य व्यवस्था को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जाना चाहिए। यह दण्डनीय है।
4. यदि परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष द्वारा निर्देशों का पालन नहीं करता है अथवा अशिष्ट उद्न्ड आचरण करता है अथवा अनुचित या अशोभनीय या अशालीन व्यवहार करता है तो वह परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा।उसकी परीक्षा निरस्त की जा सकेगी तथा वह ऐसे अन्य दण्ड का भी भागी होगा, जो आयोग उचित समझे। केन्द्राध्यक्षों को निर्देश दिये गये है कि ऐसे परिक्षार्थियों के नाम गोपनीय ढंग से आयोग को सूचित किये जाए। परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के पूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण में होगा।

चौदह – उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा पूर्व सघन जांच की जायेगी, इस हेतु अभ्यर्थियों की सूचना हेतु वर्जित वस्तुओं की जानकारी निम्नानुसार प्रकाशित की जा रही है –

परीक्षा हेतु वर्जित वस्तुएं –

सामान्यतः परीक्षाओं में ऐसा पाया गया है कि परीक्षार्थी अपने कपड़ों, कफलिंक,चश्मा,जूते-मोज़े हाथ के बैंड, हाथ के बंधे बंधन इत्यादि में नाना प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग करते हैं। अतः परीक्षा में किसी इलेक्ट्रानिक डिवाइस के उपयोग को रोकने के लिए परीक्षा कक्ष में जूते-मोजे पहनकर प्रवेश वर्जित होगा। परीक्षार्थी चप्पल व सैंडल पहनकर आ सकते हैं। चेहरे को ढक कर परीक्षा कक्ष में प्रवेश वर्जित होगा। एसेसरीज जैसे बालों को बांधने का क्लचर/ बक्कल, घड़ी, हाथ में पहने जाने वाले किसी भी प्रकार के बैंड, कमर में पहने जाने वाले बेल्ट,धूप में पहने जाने वाले चश्मे,पर्स, वालेट,टोपी वर्जित हैं।
सिर, नाक, कान, गला, हाथ, पैर,कमर में पहने जाने वाले सभी प्रकार के आभूषण तथा हाथ में बंधे धागे/कलावा/रक्षा सूत्र आदि का सूक्ष्मता से परीक्षण कर वीक्षकों द्वारा परीक्षार्थी के कक्ष में जाने के पूर्व तलाशी ली जाएगी ।

परिशिष्ट – एक

परीक्षा योजना

1. राज्य सेवा परीक्षा के तीन क्रमिक चरण हैं –

   (1) मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिये राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रश्न ओ.एम. आर. शीट आधारित); और

   (2) सेवाओं तथा पदों के विभिन्न प्रवर्गों के लिये उम्मीदवारों के चयन हेतु राज्य सेवा मुख्य परीक्षा (लिखित वर्णनात्मक) एवं

   (3) साक्षात्कार ।

राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा

2. प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार (बहुविकल्पीय प्रश्न) के दो प्रश्न पत्र होंगे । प्रत्येक प्रश्नपत्र की रचना निम्नलिखित योजनानुसार की जायेगी :–

प्रथम प्रश्न पत्र	सामान्य अध्ययन	2 घंटे	200 अंक
द्वितीय प्रश्न पत्र	सामान्य अभिरूचि परीक्षण	2 घंटे	200 अंक

3. यह परीक्षा केवल छानबीन परीक्षण के रूप में ली जाती है। इस परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु योग्य/अर्ह घोषित किया जाता है। अंतिम चयनसूची केवल मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंको के आधार पर निर्मित की जायेगी।

4. (1) दोनों प्रश्नपत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार (बहुविकल्पीय प्रश्न) के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिये चार सम्भाव्य उत्तर होंगे जिन्हें अ, ब, स और द में समूहीकृत किया जायेगा, जिनमें से एक सही उत्तर होगा। उम्मीदवार से अपेक्षा की जाती है कि वह उत्तर पुस्तिका में उसके द्वारा निर्णीत सही माने गये अ, ब, स, या द में से केवल एक उत्तर पर चिन्ह लगाएं।

   (2) प्रत्येक प्रश्नपत्र में 2–2 अंक के 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्नपत्र 200 अंको का होगा तथा प्रत्येक प्रश्नपत्र की समयावधि 2 घंटे होगी।

   (3) प्रारंभिक परीक्षा हेतु सामान्य अध्ययन तथा सामान्य अभिरूचि परीक्षण के विस्तृत पाठ्यक्रम परिशिष्ट–दो में यथा विनिर्दिष्ट हैं।

   (4) प्रत्येक प्रश्न पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी में होगा।

   (5) प्रारम्भिक परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों और उसके मॉडल उत्तरों की कुंजी तैयार कर आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.comपर प्रकाशित कर ऑनलाइन पद्धति से 07 दिवस की अवधि में आपत्तियां प्राप्त की जायेंगी। अभ्यर्थी प्रति प्रश्न 100 रुपये शुल्क तथा पोर्टल शुल्क का भुगतान कर आपत्तिया ऑनलाइन जमा कर सकेंगें। इस अवधि के पश्चात प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर कोई विचार एवं पत्राचार नहीं किया जाएगा ।

   प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

   समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार कर निम्नलिखित अनुसार कार्यवाही की जायेगी:-

   1. ऐसे प्रश्न जिनका मॉडल कुंजी में गलत उत्तर दिया गया है और प्रश्न के वैकल्पिक उत्तरों में दूसरा सही उत्तर उपलब्ध है तब मॉडल कुंजी को संशोधित किया जायेगा।
   2. आपत्तियों के आधार पर निम्नलिखित अनुसार पाये गये प्रश्नों को प्रश्नपत्र से विलोपित किया जायेगा :-
      - ऐसे प्रश्न जिसका दिये गये विकल्पों में सही उत्तर न हो ।
      - ऐसे प्रश्न जिसका दिये गये विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर हों।
      - प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी अनुवाद में भिन्नता हो।

      विषय विशेज्ञयों द्वारा समस्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात मॉडल उत्तर कुंजी बनाई जाएगी तथा आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर **प्रकाशित** की जाएगी । अंतिम उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर अपलोड होने के पश्चात कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार समिति द्वारा विलोपित किए गये प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्नों के आधार पर अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर अभ्यर्थियों का मूल्यांकन कर प्रारम्भिक परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा।

5. मुख्य परीक्षा में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों की संख्या विज्ञापन में दर्शित की गई सेवा तथा पदों के विभिन्न प्रवर्गो से भरी जाने वाली कुल रिक्तियों की संख्या से 15 गुना होगी तथा समान अंक प्राप्त (वर्गवार/श्रेणीवार) उम्मीदवारो को भी मुख्य परीक्षा हेतु अर्ह घोषित किया जायेगा। केवल वे ही उम्मीदवार, जिन्हें आयोग ने संबंधित विज्ञापन के अधीन प्रारंभिक परीक्षा में अर्ह घोषित किया हो, मुख्य परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये पात्र होंगे। मुख्य परीक्षा की पात्रता हेतु उम्मीदवार को प्रारंभिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग श्रेणी के उम्मीदवार हेतु न्यूनतम अर्हकारी अंक 30 प्रतिशत होंगे।

विशेषः- राज्य सेवा प्रारम्भिक परीक्षा का **द्वितीय** प्रश्न-पत्र केवल क्वालीफाइंग स्वरूप का होगा। अर्थात **द्वितीय** प्रश्नपत्र में न्यूनतम उत्तीर्णांक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम प्रश्न-पत्र में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा। **द्वितीय** प्रश्न-पत्र में प्राप्त अंकों को प्रारम्भिक परीक्षा परिणाम हेतु गुणानुक्रम निर्धारण में शामिल नहीं किया जाएगा।

राज्य सेवा मुख्य परीक्षा

6. राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में निम्नानुसार कुल 06 प्रश्नपत्र होंगे तथा सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य है :–

स.क्र.	विषय	अवधि	पूर्णांक
प्रथम प्रश्नपत्र	सामान्य अध्ययन–I	03 घण्टे	300
द्वितीय प्रश्नपत्र	सामान्य अध्ययन–II	03 घण्टे	300
तृतीय प्रश्नपत्र	सामान्य अध्ययन–III	03 घण्टे	300
चतुर्थ प्रश्नपत्र	सामान्य अध्ययन–IV	03 घण्टे	200
पंचम प्रश्नपत्र	सामान्य हिन्दी	03 घण्टे	200
षष्ठम प्रश्नपत्र	हिन्दी निबंध लेखन	02 घण्टे	100

साक्षात्कार :– 175
कुल अंक 1575

सामान्य अध्ययन के चारों प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध होंगे। इन प्रश्न पत्रों का उत्तर अभ्यर्थी केवल उस भाषा में दे सकेगा जो उसने अपने मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र में चयनित किया है।

परीक्षा के प्रश्न पत्रों में प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों का प्रकार तथा उत्तर हेतु शब्द सीमा का मार्गदर्शी प्रारूप निम्नानुसार हैः–

1. सामान्य ज्ञान के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रश्नपत्र में दो खण्ड अ तथा ब रहेंगे। प्रत्येक खण्ड 150 अंकों का होगा। प्रत्येक खण्ड के लिये पृथक उत्तर पुस्तिका .प्रदान की जायेगी। प्रत्येक खण्ड में 15 अति लघु उत्तर, 10 लघु उत्तर एवं 03 निबंधात्मक प्रश्न होंगे। प्रश्नों की संख्या को आवश्यकतानुसार कम या अधिक किया जा सकेगा।
2. चतुर्थ प्रश्न पत्र में एक ही खण्ड रहेगा तथा प्रश्न पत्र में 15 लघुस्तरीय तथा 15 लघुस्तरीय संक्षिप्त टिप्पणियां सम्मिलित रहेगी तथा एक या दो केस स्टडी से संबंधित लघुस्वरूप के प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रश्नों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
3. सामान्य ज्ञान के प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ प्रश्न पत्र हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम में प्रदान किये जायेगें। अभ्यर्थी द्वारा हिन्दी या अंग्रेजी माध्यम में से एक भाषा में उत्तर लिखने का विकल्प का चयन किया जा सकता है।

प्रथम प्रश्नपत्र

खण्ड (अ)

प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के बिन्दु क्रमांक–1.1 से 1.7 तक इस खण्ड में सम्मिलित रहेंगे। प्रश्नपत्र की रचना का स्वरूप निम्नानुसार रहेगा :–

प्रश्न क्रमांक–01

इस प्रश्न में कुल–A से O तक कुल 15 अत्यन्त लघुस्वरूप के प्रश्न रहेंगे जिनका उत्तर एक या दो पंक्तियों में देना होगा। अनुमानित प्रत्येक प्रश्न पत्र के शब्द सीमा 15 होगी। आंतरिक विकल्प नहीं रहेगा। प्रत्येक प्रश्न 03 अंकों का होगा इस प्रकार यह प्रश्न कुल 15x3=45 अंकों का होगा।

प्रश्न क्रमांक–02

इस प्रश्न में कुल–A से J तक कुल 10 प्रश्न लघु स्वरूप के रहेंगे जिनका उत्तर लगभग 100 शब्दों में देना होगा। प्रत्येक प्रश्न 06 अंकों का होगा इस प्रकार यह प्रश्न कुल 10x6=60 अंकों का होगा। इसमें आंतरिक विकल्प दिया जा सकेगा।

प्रश्न क्रमांक–03

A, B. एवं C कुल–03 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक होंगे जिनकी प्रत्येक शब्द सीमा लगभग 300 शब्द होगी तथा प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का होगा। इस प्रकार कुल 15x3=45 अंकों का होगा। आंतरिक विकल्प दिया जा सकेगा।

इस प्रकार यह खण्ड 150 अंकों का होगा।

<u>खण्ड (ब)</u>

इस खण्ड हेतु पृथक उत्तर पुस्तिका प्रदान की जायेगी।
प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के बिन्दु क्रमांक–2.1 से 4.3 तक इस खण्ड में सम्मिलित रहेंगे। प्रश्नपत्र की रचना का स्वरूप निम्नानुसार रहेगा :–

<u>प्रश्न क्रमांक–01</u>

इस प्रश्न में कुल–A से O तक कुल 15 अत्यन्त लघुस्वरूप के प्रश्न रहेंगे जिनका उत्तर एक या दो पंक्तियों में देना होगा। आंतरिक विकल्प नहीं रहेगा। प्रत्येक प्रश्न 03 अंकों का होगा इस प्रकार यह प्रश्न कुल 15x3=45 अंकों का होगा।

<u>प्रश्न क्रमांक–02</u>

इस प्रश्न में कुल–A से J तक कुल 10 प्रश्न लघुस्वरूप के प्रश्न रहेंगे प्रत्येक उत्तर लगभग 100 शब्दों में देना होगा। प्रत्येक प्रश्न 06 अंकों का होगा इस प्रकार यह प्रश्न कुल 10x6=60 अंकों का होगा। इसमें आंतरिक विकल्प दिया जा सकेगा।

<u>प्रश्न क्रमांक–03</u>

A, B. एवं C कुल–03 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक होंगे जिनकी प्रत्येक शब्द सीमा लगभग 300 शब्द होगी तथा प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का होगा। इस प्रकार कुल 15x3=45 अंकों का होगा। आंतरिक विकल्प दिया जा सकेगा।
इस प्रकार यह खण्ड 150 अंकों का होगा।

<u>द्वितीय प्रश्न पत्र</u>

प्रश्न पत्र द्वितीय, दो खण्डों में विभाजित होगा। प्रत्येक खण्ड के लिए पृथक उत्तर पुस्तिका प्रदान की जायेगी।

<u>खण्ड (अ)</u>

द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में 1.1 से 3.11 तथा क्रमांक–08, 09 एवं 10 भाग इसमें सम्मिलित रहेगा।

<u>प्रश्न क्रमांक–01</u>

इस प्रश्न में कुल–A से O तक तक कुल 15 अत्यन्त लघुस्वरूप के प्रश्न रहेंगे जिनका उत्तर एक या दो पंक्तियों में देना होगा। आंतरिक विकल्प नहीं रहेगा। प्रत्येक प्रश्न 03 अंकों का होगा इस प्रकार यह प्रश्न कुल 15x3=45 अंकों का होगा।

<u>प्रश्न क्रमांक–02</u>

इस प्रश्न में कुल–A से J तक कुल 10 प्रश्न लघुस्वरूप के प्रश्न रहेंगे प्रत्येक उत्तर लगभग 100 शब्दों में देना होगा। प्रत्येक प्रश्न 06 अंकों का होगा इस प्रकार यह प्रश्न कुल 10x6=60 अंकों का होगा। इसमें आंतरिक विकल्प दिया जा सकेगा।

<u>प्रश्न क्रमांक–03</u>

A, B. एवं C कुल–03 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक होंगे जिनकी प्रत्येक शब्द सीमा लगभग 300 शब्द होगी तथा प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का होगा। इस प्रकार कुल 15x3=45 अंकों का होगा। आंतरिक विकल्प दिया जा सकेगा।

इस प्रकार यह खण्ड 150 अंकों का होगा।

खण्ड (ब)

इस खण्ड हेतु पृथक उत्तर पुस्तिका प्रदान की जायेगी।
द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के बिन्दु क्रमांक–4.1 से 10.4 तक इस खण्ड में सम्मिलित रहेंगे। प्रश्नपत्र की रचना का स्वरूप निम्नानुसार रहेगा :–

<u>प्रश्न क्रमांक–01</u>

इस प्रश्न में कुल–A से O तक कुल 15 अत्यन्त लघुस्वरूप के प्रश्न रहेंगे जिनका उत्तर एक या दो पंक्तियों में देना होगा आंतरिक विकल्प नहीं रहेगा। प्रत्येक प्रश्न 03 अंकों का होगा इस प्रकार यह प्रश्न कुल 15x3=45 अंकों का होगा।

<u>प्रश्न क्रमांक–02</u>

इस प्रश्न में कुल A से J तक कुल 10 प्रश्न लघु स्वरूप के प्रश्न रहेंगे प्रत्येक उत्तर लगभग100 शब्दों में देना होगा। प्रत्येक प्रश्न 06 अंकों का होगा इस प्रकार यह प्रश्न कुल 10x6=60 अंकों का होगा। इसमें आंतरिक विकल्प दिया जा सकेगा।

<u>प्रश्न क्रमांक–03</u>

A, B. एवं C कुल–03 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक होंगे जिनकी प्रत्येक शब्द सीमा लगभग 300 शब्द होगी तथा प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का होगा। इस प्रकार कुल 15x3=45 अंकों का होगा। आंतरिक विकल्प दिया जा सकेगा।

इस प्रकार यह खण्ड 150 अंकों का होगा।

<u>तृतीय प्रश्न पत्र</u>

प्रश्न पत्र तृतीय, दो खण्डों में विभाजित होगा। प्रत्येक खण्ड के लिए पृथक उत्तर पुस्तिका प्रदान की जायेगी।

तृतीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के बिन्दु क्रमांक–1.1 से 6.6 तक इस खण्ड में सम्मिलित रहेंगे। प्रश्न पत्र की रचना का स्वरूप निम्नानुसार रहेगा :–

खण्ड–(अ)

इस खण्ड हेतु पृथक उत्तर पुस्तिका प्रदान की जायेगी।

<u>प्रश्न क्रमांक–01</u>

इस प्रश्न में कुल–A से O तक कुल 15 अत्यन्त लघुस्वरूप के प्रश्न रहेंगे जिनका उत्तर एक या दो पंक्तियों में देना होगा आंतरिक विकल्प नहीं रहेगा। प्रत्येक प्रश्न 03 अंकों का होगा इस प्रकार यह प्रश्न कुल 15x3=45 अंकों का होगा।

<u>प्रश्न क्रमांक–02</u>

इस प्रश्न में कुल–A से J तक कुल 10 प्रश्न लघु स्वरूप के प्रश्न रहेंगे प्रत्येक उत्तर लगभग 100 शब्दों में देना होगा। प्रत्येक प्रश्न 06 अंकों का होगा इस प्रकार यह प्रश्न कुल 10x6=60 अंकों का होगा। इसमें आंतरिक विकल्प दिया जायेगा।

प्रश्न क्रमांक–03

A, B. एवं C कुल–03 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक होंगे जिनकी प्रत्येक शब्द सीमा लगभग 300 शब्द होगी तथा प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का होगा। इस प्रकार कुल 15x3 = 45 अंकों का होगा। आंतरिक विकल्प दिया जा सकेगा।

इस प्रकार यह खण्ड 150 अंकों का होगा।

खण्ड (ब)

इस खण्ड हेतु पृथक उत्तर पुस्तिका प्रदान की जायेगी। तृतीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के बिन्दु क्रमांक – 7.1 से 7.17 तक इस खण्ड में सम्मिलित रहेंगे। प्रश्नपत्र की रचना का स्वरूप निम्नानुसार रहेगा :–

प्रश्न क्रमांक–01

इस प्रश्न में कुल–A से O तक कुल 15 अत्यन्त लघुस्वरूप के प्रश्न रहेंगे जिनका उत्तर एक या दो पंक्तियों में देना होगा आंतरिक विकल्प नहीं रहेगा। प्रत्येक प्रश्न 03 अंकों का होगा इस प्रकार यह प्रश्न कुल–15x3=45 अंकों का होगा।

प्रश्न क्रमांक–02

इस प्रश्न में कुल–A से J तक कुल 10 प्रश्न लघुस्वरूप के प्रश्न रहेंगे प्रत्येक उत्तर लगभग 100 शब्दों में देना होगा। प्रत्येक प्रश्न 06 अंकों का होगाइस प्रकार यह प्रश्न कुल 10x6=60 अंकों का होगा। इसमें आंतरिक विकल्प दिया जा सकेगा।

प्रश्न क्रमांक–03

A, B. एवं C कुल–03 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक होंगे जिनकी प्रत्येक शब्द सीमा लगभग 300 शब्द होगी तथा प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का होगा। इस प्रकार कुल 15x3=45 अंकों का होगा। आंतरिक विकल्प दिया जाएगा। इस खण्ड में केस स्टडीज से संबंधित प्रश्न भी सम्मिलित किया जा सकता है।

इस प्रकार यह खण्ड 150 अंकों का होगा।

चतुर्थ प्रश्न पत्र

इस प्रश्न पत्र में पहला प्रश्न अति लघुस्तरीय होगा। जिनके उत्तर या एक या दो पंक्तियों में देना होंगे। आंतरिक विकल्प नहीं दिया जायेगा। यह प्रश्न कुल 15x3=45 अंकों का होगा।

प्रश्न क्रमांक–02 से 16 तक कुल–15 प्रश्न लघुस्तरीय टिप्पणी के होंगे जिनकी शब्द सीमा लगभग–150 शब्द होगी। प्रत्येक प्रश्न 06 अंकों का होगा। इस प्रकार कुल 15x6=90 अंकों का होगा।

प्रश्न क्रमांक–17 तथा 18 में पाठयक्रम से संबंधित 01 या 02 केस स्टडी दी जायेगी कुल केस स्टडी के आधार पर कुल 65 अंकों के लघुस्वरूप के प्रश्न पूछे जायेंगे। दो केस स्टडी सम्मिलित किये जाने पर प्रथम केस स्टडी से 30 अंक के द्वितीय केस स्टडी से 35 अंक के प्रश्न पूछे जायेंगे।

पंचम प्रश्न पत्र

पांचवा प्रश्न पत्र– यह प्रश्न पत्र सामान्य हिन्दी का होगा, पहला प्रश्न लघु स्तरीय होगा जिसमें कुल–20 प्रश्न होंगे जिनका उत्तर 01 या 02 पंक्तियों में देना होगा तथा आंतरिक विकल्प नहीं रहेगा। प्रत्येक प्रश्न 03 अंकों का होगा इस प्रकार पहला प्रश्न 20x3=60 अंकों को होगा।

प्रश्न क्रमांक–02 गंद्यांश के हिन्दी से अंग्रेजी अनुवाद का होगा। यह प्रश्न 20 अंकों का होगा। प्रश्न क्रमांक–03

से 10 तक कुल 08 प्रश्न होंगे । प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का होगा। प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिया जायेगा। इस प्रकार यह प्रश्न 200 अंकों को होगा।

छटवां प्रश्न पत्र

छटवां प्रश्नपत्र– यह प्रश्न पत्र हिन्दी निबंध लेखन का होगा प्रश्न पत्र 03 खण्डों में विभाजित रहेगा। प्रत्येक खण्ड में आंतरिक विकल्प रहेगा।प्रथम खण्ड में लगभग 1000 शब्दों में निबंध लिखना होगा। द्वितीय खण्ड में लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखना होगा तथा तृतीय खण्ड में भी लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखना होगा ।

टीप–

अभ्यर्थी को प्रत्येक प्रश्नपत्र में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग तथा **नि:शक्त** श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हकारी अंक 30 प्रतिशत होंगे।

परिशिष्ट–दो

राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम

प्रथम प्रश्नपत्र : सामान्य अध्ययन

1. सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण

सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण (पर्यावरणीय परिस्थितिकी, जैव विविधता तथा मौसम परिवर्तन)पर प्रश्नों में दैनंदिन (रोजमर्रा) अवलोकन एवं अनुभव से सम्बन्धित प्रश्न जो किसी भी शिक्षित व्यक्ति द्वारा अपेक्षित है और जिन्होंने इन विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया हो , सम्मिलित होंगे।

2. राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएँ

वर्तमान घटनाओं में प्रमुख राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के ज्ञान का परीक्षण किया जावेगा।

3. भारत का इतिहास एवं स्वतंत्र भारत

इतिहास में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक पहलुओं से सम्बन्धित सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे। राष्ट्रीय आन्दोलन एवं स्वतंत्र भारत के विकास के प्रश्न भी पूछे जावेंगे।

4. (क) भारत का भूगोल

भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल के सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे। इसमें भारतीय कृषि एवं प्राकृतिक संसाधनों का समावेश होगा तथा भारतीय जनांकिकीय एवं जनगणना से सम्बन्धित प्रश्न होंगे।

(ख) विश्व की सामान्य भौगोलिक जानकारी।

5. भारतीय राजनीति एवं अर्थव्यवस्था

इसमें देश की राजनैतिक व्यवस्था एवं संविधान, पंचायती राज, सामाजिक व्यवस्था, सतत् आर्थिक विकास, चुनाव, राजनीतिक दलों, योजनाएँ, औद्योगिक विकास, विदेशी व्यापार, आर्थिक एवं वित्तीय संस्थाओं पर प्रश्न होंगे।

6. खेलकूद

मध्यप्रदेश, भारत, एशिया एवं विश्व में खेले जाने वाले प्रमुख खेलकूद एवं खेल प्रतियोगिताओं, पुरस्कारों, व्यक्तित्वों तथा प्रतिष्ठित खेल संस्थानों से सम्बन्धित प्रश्न होगे।

7. मध्यप्रदेश का भूगोल, इतिहास तथा संस्कृति

मध्यप्रदेश के भूगोल में पर्वतों के विकास, नदियां, जलवायु, वनस्पतियाँ, जीवजन्तु, खनिज, परिवहन से सम्बन्धित प्रश्न होगे। मध्यप्रदेश के इतिहास एवं संस्कृति में प्रसिद्ध राजवंशों का योगदान, जनजातियां, कला, स्थापत्य कला, ललित कलाओं एवं ऐतिहासिक व्यक्तियों पर भी प्रश्न होंगे।

8. मध्यप्रदेश की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था

इसमें प्रदेश की राजनैतिक व्यवस्था, राजनीतिक दलों एवं चुनाव, पंचायतीराज, मध्यप्रदेश की सामाजिक व्यवस्था, सतत् आर्थिक विकास से संबंधित प्रश्न होंगे। इसमें उद्योग योजनाएँ, आर्थिक कार्यक्रम, व्यापार, मध्यप्रदेश की जनांकिकीय एवं जनगणना पर प्रश्न भी सम्मिलित होंगे।

9. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी

इसमें अभिलक्षण, प्रयोग और शब्दावलियों, जैसे वेबसाईट, आनलाईन सर्च इंजिन, ई–मेल, वीडियो मेल, चेटिंग, वीडियो कान्फ्रेन्स, हेकिंग , क्रेकिंग, वायरस और सायबर अपराध से सम्बन्धित प्रश्न सम्मिलित होंगे।

10. अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) 1989 एवं सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1995.

11. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993.

द्वितीय प्रश्नपत्र :— सामान्य अभिरूचि परीक्षण

1. बोधगम्यता
2. संचार कौशल सहित अंतर — वैयक्तिक कौशल
3. तार्किक कौशल एवं विश्लेषणत्मक क्षमता
4. निर्णय लेना एवं समस्या समाधान
5. सामान्य मानसिक योग्यता
6. आधारभूत संख्यनन (संख्यायें एवं उनके संबंध, विस्तार क्रम आदि —दसवीं कक्षा का स्तर), आंकड़ों का निर्वचन (चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि—दसवीं कक्षा का स्तर)
7. हिन्दी भाषा में बोधगम्यता कौशल (दसवीं कक्षा का स्तर)

टिप्पणी: दसवीं कक्षा के स्तर के हिन्दी भाषा के बोधगम्यता कौशल से संबंध प्रश्नों का परीक्षण, प्रश्नपत्र में केवल हिन्दी भाषा के उद्धरणों के माध्यम से, अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध कराये बिना किया जायेगा।

PRELIMINARY EXAMINATION

SYLLYBUS

FIRST PAPER: GENERAL STUDIES

1. General Science and Environment

Questions on general science and Environment (Environmental Ecology, Biodiversity & Climate Change) will cover general appreciation and understanding of science including matters of every day observation and experience as may be expected of a well educated person who has not made a special study of any particular scientific discipline.

2. Current Events of National & International Importance

In current events knowledge of significant National and International level will be tested.

3. History of India and Independent India

In History, questions of general knowledge related to social, economic and political aspects will be asked. Also, there will be questions on Indian National Movement and Development of Independent India.

4. (a) Geography of India

There will be questions of general knowledge relating to Physical, social and economic geography. It will also include questions on Indian Agriculture and Natural resources. There will be questions pertaining to demography and census of India.

(b) General Geographical awareness of world.

5. Indian Polity and Economy

Political system and constitution of the country, Panchayati Raj, social system, sustainable economic development, elections, political parties, plans, industrial development, foreign trade and economic and financial institutions.

6. Sports

Important games and sports tournaments, Awards, personalities and Renowned Sports Institutions of M.P., India, Asia and World.

7. Geography, History and Culture of M.P.

There will be questions related to the development of Mountains, rivers, climate, Flora and Fauna, Minerals transportation in the Geography of Madhya Pradesh . It will also have questions relating to important dynasties of M.P., Contribution of important dynasties in the Histroy & Culture of Madhya Pradesh, There will be questions on Tribals, Arts, Architecture, Fine Arts and Historical personalities of M.P.

8. Polity and Economy of M.P.

Political system, Political parties and elections, Pachyati Raj, Social system and sustainable economic development of M.P.. This will also include questions on Industry, Plans, Economic programmes, business, demography and census of M.P.

9. Information and Communication Technology

Questions pertaining to characteristics, uses, and terminologies such as website, online, search engine, e-mail, video mail, chatting, video conferencing, hacking, cracking, virus and cyber crime.

10. Scheduled Caste & Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) 1989 (No.33 of 1989) and the Protection of Civil Rights Act, 1955 (No. 22 of 1955)

11. The Protection of Human Rights Act, 1993.

SECOND PAPER : GENERAL APTITUDE TEST

1. Comprehension
2. Interpersonal skill including communication skill
3. Logical reasoning and analytical ability
4. Decision making and problem solving
5. General mental ability
6. Basic numeracy (numbers and their relations, order of magnitude ect.-Class X level) Data interpretation (charts, graphs, tables, data sufficiency etc.-Class X level)
7. Hindi Language Comprehension Skill (Class X level)

Note:- Question relating to Hindi Language Comprehension skill of Class X level will be tested through passages from Hindi language only without providing English Translation thereof in the question paper.

राज्य सेवा मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम

प्रश्न पत्र–I सामान्य अध्ययन पेपर–(I)

1 इतिहास एवं संस्कृति

1.1 विश्व इतिहास –

पुनर्जागरण,
इंग्लैंड की क्रांति,
फ्रांस की क्रांति,
औद्योगिक क्रांति
रूसी क्रांति, प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध

1.2 भारतीय इतिहास–भारत का राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक इतिहास, हड़प्पा सभ्यता से 10 वीं शताब्दी तक।

1.3 मुगल और उनका प्रशासन, मिश्रित संस्कृति का उद्भव ।

11 वीं से 18 वीं शताब्दी तक मध्यभारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक इतिहास।

1.4 ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर प्रभाव ।
ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया : कृषक एवं आदिवासियों का विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन/संग्राम ।

1.5 भारतीय पुनर्जागरण : राष्ट्रीय, स्वतंत्रता आंदोलन एवं इसके नेतृत्वकर्ता (मध्यप्रदेश के विशेष संदर्भ में) ।

1.6 गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, राज्यों का पुनर्गठन, मध्यप्रदेश का गठन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् के प्रमुख घटनाक्रम ।

1.7 मध्यप्रदेश के विशेष संदर्भ में भारतीय सांस्कृतिक विरासत : प्राचीन काल से आधुनिक काल तक विभिन्न कला प्रारूपों, साहित्य, पर्व (उत्सवों), वास्तुकला के प्रमुख पक्ष ।
भारत में विश्व धरोहर स्थल, मध्यप्रदेश में पर्यटन ।

2 भूगोल –

2.1 भारत एवं विश्व भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताए/लक्षण ।

2.2 प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण,

मध्यप्रदेश के कृषि–जलवायु क्षेत्र एवं उद्योग ।

2.3 भारत एवं मध्यप्रदेश की जनांकिकी, मध्यप्रदेश की जनजातियां, आपदाग्रस्त जनजातियों के विशिष्ट संदर्भ में ।

2.4 कृषि पारिस्थितिकी एवं मनुष्य के लिये इसकी प्रासंगिकता, धारणीय प्रबंधन एवं संरक्षण । राज्य की प्रमुख फसलें, कृषि ज़ोत क्षेत्र एवं फसल चक्र, फसलों के उत्पादन और वितरण का भौतिक और सामाजिक पर्यावरण । राज्य में बीज एवं खाद की गुणवत्ता एवं आपूर्ति, कृषि के तरीके, बागवानी, मुर्गी पालन, डेयरी, मछली एवं पशु पालन आदि के मुद्दे एवं समस्याएँ, कृषि उत्पादन, परिवहन, भण्डारण एवं विपणन आदि से संबंधित समस्याएँ एवं चुनौतियाँ।

मृदा : मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुण, मृदा निर्माण की प्रक्रिया एवं मृदा के खनिज एवं कार्बनिक तत्व तथा भूमि की उत्पादकता बनाये रखने में इनका योगदान। मृदा एवं वनस्पति में आवश्यक वनस्पति पौषक और विभिन्न लाभदायक तत्व । समस्याग्रस्त मृदा और उसके परिष्कार के तरीके, मध्यप्रदेश में मृदा क्षरण और ह्रास की समस्यायें। जलग्रहण आधार पर मृदा संरक्षण नियोजन।

2.5 भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग – संभावनाएं एवं महत्व, स्थान निर्धारण, उद्योग की पूर्ववर्ती एवं अग्रवर्ती आवश्यकताएँ, मांग पूर्ति श्रृंखला प्रबंधन।
भारत में भूमि सुधार।

3 जल प्रबंधन –

3.1 भू–जल एवं जल संग्रहण प्रबंधन।

3.2 जल का उपयोग एवं कुशल सिंचाई प्रणाली।

3.3 पेयजल – आपूर्ति, जल की अशुद्धता के कारक एवं गुणवत्ता का प्रबंधन।

4 आपदा एवं आपदा प्रबंधन –

4.1 मानव निर्मित एवं प्राकृतिक आपदाऐं : आपदा प्रबंधन की अवधारणाएं एवं विस्तार की संभावनाऐं, विशिष्ट खतरे एवं उनका शमन।

4.2 सामुदायिक योजना : संसाधन मानचित्रण, राहत एवं पुनर्वास, निरोधक एवं प्रशासनिक उपाय, सुरक्षित निर्माण, वैकल्पिक संचार एवं जीवन रक्षा हेतु दक्षता ।

4.3 केस स्टडी (प्रकरण अध्ययन) – चेरनोबिल परमाणु संयंत्र त्रासदी 1986, भोपाल गैस त्रासदी 1984, कच्छ भूकंप 2001, भारतीय सुनामी 2004, फुकुसिमा डायची जापान परमाणु आपदा 2011, उत्तराखंड बाढ़ 2013, उज्जैन त्रासदी 1994, इलाहाबाद कुंभ की भगदड़ 2013, जम्मू एवं कश्मीर की बाढ़ 2014 आदि का अध्ययन ।

प्रश्न पत्र – II सामान्य अध्ययन पेपर (II)

1. संविधान, शासन की राजनैतिक एवं प्रशासनिक संरचना –

संविधान निर्माण समिति, भारत का संविधान, प्रस्तावना, बुनियादी संरचना, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य एवं राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, संविधान की अनुसूचियां, संवैधानिक संशोधन, भारत के संविधान की अन्य देशो के संविधानों के साथ तुलना ।

1.2 केन्द्र एवं राज्य विधायिका ।

1.3 केन्द्र एवं राज्य कार्यपालिका।

1.4 न्यायपालिका – सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय, न्यायपालिका की अवमानना ।

1.5 भारतीय संघ की प्रकृति, केन्द्र एवं राज्यों के संबंध, शक्तियों का विभाजन (केन्द्र सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची) संसाधनों का वितरण ।

1.6 विकेन्द्रीकरण एवं लोकतांत्रिक शासन में जनभागीदारी, स्थानीय शासन, संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन, पंचायतें, नगर पालिकाएँ (ग्रामीण एवं नगरीय, स्थानीय शासन)

1.7 लोकपाल, लोकायुक्त एवं लोक न्यायालय– न्यायपालिका– संवैधानिक व्यवस्था के संरक्षण एवं प्रहरी के रूप में – न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका ।

1.8 जवाबदेही एवं अधिकार–प्रतिस्पर्धा आयोग, उपभोक्ता न्यायालय, सूचना आयोग, महिला आयोग, मानव अधिकार आयोग, अजा/अजजा/अपिव आयोग एवं अन्य निवारण संस्थाऐं/प्राधिकरण । पारदर्शिता एवं जवाबदेही, सूचना का अधिकार, सेवा प्राप्ति का अधिकार, सार्वजनिक निधि का उपयोग ।

1.9 लोकतंत्र की कार्य प्रणाली :

राजनीतिक दल, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी ।

1.10 निर्वाचन,

निर्वाचन आयोग, निर्वाचन संबंधी सुधार ।

1.11 समुदाय आधारित संगठन (CBOS) एवं गैर सरकारी संगठनों (NGOS) का उद्‌भव – स्व–सहायता समूह ।

1.12 मीडिया की भूमिका एवं समस्याऐं (इलेक्ट्रानिक, प्रिन्ट एवं सामाजिक)

2. बाह्य एवं आन्तरिक सुरक्षा के मुद्‌दे।

3. सामाजिक एवं महत्वपूर्ण विधान :

3.1 भारतीय समाज, सामाजिक बदलाव के एक साधन के रूप में सामाजिक विधान ।
3.2 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993
3.3 भारतीय संविधान एवं आपराधिक विधि (दण्ड प्रक्रिया संहिता) के अंतर्गत महिलाओं को प्राप्त सुरक्षा (सीआरपीसी)
3.4 घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम–2005
3.5 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955
3.6 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989
3.7 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
3.8 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986
3.9 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986
3.10 सूचना प्राद्यौगिकी अधिनियम–2000
3.11 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988
3.12 मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम–2010

4. सामाजिक क्षेत्र – स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सशक्तिकरण –

4.1 स्वास्थ्य सेवायें – भारत/मध्यप्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों के संदर्भ में निरोधात्मक एवं उपचारात्मक स्वास्थ्य कार्यक्रम । सभी के लिए उपचारात्मक स्वास्थ्य की उपलब्धता से संबंधित समस्याऐं । चिकित्सकों एवं चिकित्सा सहायकों (पैरामेडिकल स्टाक) की उपलब्धता, ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सेवायें ।

4.2 कुपोषण – कारण और प्रभाव एवं पूरक पोषण हेतु शासकीय कार्यक्रम ।

4.3 प्रतिरक्षा शास्त्र के क्षेत्र में तकनीकी दखल– प्रतिरक्षण, पारिवारिक स्वास्थ्य, बायोटेक्नोलोजी, संक्रामक एवं असंक्रामक बीमारियां एवं उनके उपचार ।

4.4 जन्म–मृत्यु समंक (वायटल स्टेटिस्टिक्स) ।

4.5 विश्व स्वास्थ्य संगठन– उद्‌देश्य, संरचना, कार्य एवं कार्यक्रम ।

5. शिक्षण प्रणाली –

मानव संसाधन विकास में शिक्षा –एक साधन, सार्वभौमिक/समान प्रारम्भिक शिक्षा, उच्चशिक्षा एवं तकनीकि शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा की गुणवत्ता, बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित मुद्‌दे, वंचित वर्ग, निःशक्त जन से संबंधित मुद्‌दे।

6. मानव संसाधन विकास :–

कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता, भारत में मानव संसाधन की नियोजिता एवं उत्पादकता, रोजगार के विभिन्न चलन (ट्रेंड्स), विभिन्न संस्थाओं जैसे –एन.सी.एच.ई.आर., एन.सी.ई.आर.टी, एन.आई.ई.पी.ए., यू.जी.सी., ओपन विश्व विद्यालय, ए.आई.सी.टी.ई, एन.सी.टी.ई., एन.सी.व्ही.टी., आई.सी.ए.आर., आई.आई.टी., आई.आई.एम., एन.आई.टी. एन.एल.यू.,एस. पोलीटेक्नीक एवं आई.टी.आई, आदि की भूमिका एवं मानव संसाधन विकास ।

7. कल्याणकारी कार्यक्रम—

वृद्धजन, निःशक्त जन, बच्चों, महिलाओं, श्रम, सामाजिक रूप से वंचित वर्ग एवं विकास परियोजनाओं के फलस्वरूप विस्थापित वर्गों से संबंधित मुद्दे एवं कल्याणकारी कार्यक्रम ।

8. लोक सेवाएं :—

लोकसेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, केन्द्रीय सेवायें, राज्य सेवाएं, संवैधानिक पद— भूमिका, कार्य और कार्य की प्रवृत्ति; संघ लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग। शासन के बदलते प्रारूप के संदर्भ में केन्द्र एवं राज्य के प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थायें ।

9. लोक व्यय एवं लेखा—

लोकव्यय पर नियंत्रण, संसदीय नियंत्रण, प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति आदि । भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, मौद्रिक एवं वित्तीय नीति में वित्त मंत्रालय की भूमिका, मध्यप्रदेश के महालेखाकार का गठन एवं कार्य ।

10. अंतर्राष्ट्रीय संगठन

10.1. संयुक्त राष्ट्र एवं उसके सहयोगी संगठन ।

10.2 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक एवं एशियाई विकास बैंक ।

10.3 सार्क, ब्रिक्स, अन्य द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय समूह ।

10.4 विश्व व्यापार संगठन एवं भारत पर इसके प्रभाव ।

प्रश्न पत्र —III सामान्य अध्ययन पेपर (III)

विज्ञान एवं तकनीकी :—

1 विज्ञान

1.1 हमारे आस—पास व्याप्त पदार्थ, तत्व, यौगिक, मिश्रण, धातुएँ और अधातुएँ, कार्बन और इसके यौगिक, अणु, परमाणु, परमाणु की संरचना, रासायनिक अभिक्रियाएँ, अम्ल, क्षार एवं लवण ।

1.2 जीव, जीवों के प्रकार, ऊतक, जीवन की इकाई, कोशिका, जैविक क्रियाएँ, चयापचय, नियंत्रण और सामंजस्य, प्रजनन, आनुवांशिकी एवं जैव विकास ।

1.3 गुरूत्वाकर्षण, गति, बल, गति के नियम, कार्य और ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत एवं चुम्बकत्व ।

2. तर्क एवं आंकड़ों की व्याख्या :—

2.1 आधार संख्याएँ और सांख्यिकी (अंक और उनके संबंध) संभाविता

2.2 आंकड़ों का प्रबंधन एवं व्याख्या (चार्ट, ग्राफ, तालिका, तथ्यांकी, पर्याप्ता आदि)

2.3 अनुपात और समानुपात, इकाई विधि, लाभ एवं हानि, प्रतिशत, छूट, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज ।

2.4 क्षेत्रविधि, क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन ।

2.5 तार्किक शक्ति, विश्लेषणात्मक क्षमता और समस्या समाधान ।

3. तकनीकी :—

3.1 विज्ञान एवं तकनीकी का सामाजिक और आर्थिक विकास में अनुप्रयोग, देशज तकनीकी, तकनीकी हस्तान्तरण और नवीन तकनीकी का विकास ।

3.2 पेटेन्ट और बौद्धिक सम्पदा के अधिकार (ट्रिप्स, ट्रिम्स)

3.3 विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में भारतीयों का योगदान ।

4. विकासशील तकनीकी :—

4.1 नवीन तकनीकी जैसे सूचना और संचार तकनीकी, सुदूर संवेदन, अंतरिक्ष जी आय एस, जी पी एस, जैव प्रौद्योगिकी, नेनो तकनीकी, कृषि और अन्य संबंधित क्षेत्र, स्वास्थ्य, ई—गर्वनेन्स, यातायात, स्थानिक नियोजन, गृह एवं क्रीडा आदि में इनके अनुप्रयोग ।

5. ऊर्जा :—

5.1 परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन ।

5.2 ऊर्जा प्रबंधन : मुद्दे और चुनौतियाँ ।
5.3 वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों की वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाएँ ।
6. पर्यावरण एवं धारणीय विकास
6.1 पर्यावरणीय क्षरण : कारण, प्रभाव एवं निदान ।
6.2 पर्यावरण संरक्षण विधियाँ, नीतियाँ और नियामक ढाँचा ।
6.3 पर्यावरण एवं विकास पर चर्चा ।
6.4 ठोस, तरल, अपशिष्ट, जल–मल, हानिकारक चिकित्सा अवशिष्ट एवं ई–वेस्ट का प्रबंधन ।
6.5 जलवायु परिवर्तन : कारण और निदानात्मक उपाय ।
6.6 पर्यावरणीय छाप और इससे निपटने की रणनीतियाँ ।
7 भारतीय अर्थव्यवस्था –
7.1 भारत में विकास का अनुभव ।
7.2 मध्यप्रदेश में मन्द औद्योगिक विकास के कारण ।
7.3 1991 के बाद से हुए आर्थिक सुधार : औद्योगिक एवं वित्तीय क्षेत्र में सुधार, स्टॉक बाजार एवं बैंकिंग प्रणाली ।
7.4 उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण ।
7.5 भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृतियॉ एवं चुनौतियॉ।
7.6 भारत में विकास का नियोजन ।
7.7 राष्ट्रीय आय एवं लेखांकन की प्रणाली ।
7.8 आधारभूत अधोसंरचना विकास एवं मुद्दे ।
7.9 गरीबी, बेरोजगारी, क्षेत्रिय असंतुलन एवं प्रवजन ।
7.10 नगरीय क्षेत्र के मुद्दे– नगरीय विकास के मुद्दे (सामाजिक एवं आर्थिक संरचना) एवं निम्न आय वर्गीय समूह के लिये आवास ।
7.11 ग्रामीण क्षेत्र के मुद्दे, ग्रामीण विकास (सामाजिक एवं आर्थिक संरचना) एवं ग्रामीण साख ।
7.12 विकास का सूचकांक, मानव विकास एवं आर्थिक विकास ।
7.13 भारत और मध्यप्रदेश में सहकारिता आन्दोलन ।
7.14 मध्यप्रदेश और भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्ता ।
7.15 आर्थिक विकास के तत्व ।
7.16 कृषि क्षेत्र एवं अन्य सामाजिक क्षेत्रों के लिये प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सब्सीडी के मुद्दे ।
7.17 लोक वितरण प्रणाली : उद्देश्य, कार्यप्रणाली, सीमायें, खाद्य सुरक्षा एवं बफर स्टॉक से संबंधित मुद्दे ।

प्रश्न पत्र – IV सामान्य अध्ययन पेपर (IV)

1. मानवीय आवश्कताएँ एवं अभिप्रेरणा :

   लोक प्रशासन में नैतिक सद्गुण एवं मूल्य : प्रशासन में नैतिक तत्व–सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता, नैतिक तर्क एवं नैतिक दुविधा तथा नैतिक मार्गदर्शन के रूप में अन्तरात्मा, लोक सेवकों हेतु आचरण संहिता, शासन में उच्च मूल्यों का पालन ।

1. दार्शनिक/विचारक, सामाजिक कार्यकर्ता/सुधारक :– महावीर, बुद्ध, कौटिल्य, प्लेटो, अरस्तू, गुरूनानक, कबीर, तुलसीदास, रवीन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविन्दो, मोहनदास करमचंद गाँधी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भीमराव रामजी अम्बेड़कर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया आदि ।

2. मनोवृत्ति : विषयवस्तु, तत्व, प्रकार्य : मनोवृत्ति का निर्माण, मनोवृत्ति परिवर्तन, प्रबोधक संप्रेषण, पूर्वाग्रह तथा विभेद, भारतीय संदर्भ में रूढ़िवादिता ।

3. अभिक्षमता एवं लोक सेवा हेतु आधारभूत योग्यताएं, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता एवं असमर्थकवादी, वस्तुनिष्ठता, लोक सेवा के प्रति समर्पण, समानुभूति, सहिष्णुता एवं अशक्त वर्गों के प्रति संवेदना/करूणा ।

4. संवेगिक बुद्धि : अवधारणा, प्रशासन/शासन में इसकी उपयोगिता एवं अनुप्रयोग ।

5. भ्रष्टाचार : भ्रष्टाचार के प्रकार एवं कारण, भ्रष्टाचार का प्रभाव, भ्रष्टाचार को अल्पतम करने के उपाय, समाज,

सूचनातंत्र, परिवार एवं विसलब्लोअर (Whistleblower) की भूमिका, भ्रष्टाचार पर राष्ट्रसंघ की घोषणा (रवैया), भ्रष्टाचार का मापन, अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता आदि ।

6. पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषयवस्तु पर आधारित प्रकरणों का अध्ययन ।

पंचम प्रश्नपत्र

सामान्य हिन्दी

इस प्रश्नपत्र का स्तर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों के समकक्ष होगा । इसका उद्देश्य उम्मीदवार की पढ़ने, समझने और लेखन की योग्यता एवं हिन्दी में स्पष्ट तथा सही विचार व्यक्त करने की जाँच करना है ।

सामान्यतः निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे जायेंगे

(क) पल्लवन, सन्धि व समास

(1) दिये गए वाक्यों का व्यापक अर्थ (शब्द–सीमा 50 शब्द)
(2) सन्धि, समास व विराम चिन्ह

(ख) संक्षेपण

(ग) प्रारूप लेखन – शासकीय व अर्धशासकीय पत्र, परिपत्र, प्रपत्र, विज्ञापन, आदेश, पृष्ठांकन, अनुस्मारक (स्मरण पत्र), अधिसूचना, टिप्पण लेखन – (कोई दो)

(घ) प्रयोग, शब्दावली तथा प्रारंभिक व्याकरण

(1) प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावली (हिन्दी व अंग्रेजी)
(2) मुहावरे अथवा कहावतें
(3) विलोम शब्द एवं समानार्थी शब्द
(4) तत्सम–तद्भव शब्द
(5) पर्यायवाची शब्द
(6) शब्द युग्म

(ङ) (1) अपठित गद्यांश

(2) प्रतिवेदन – (प्रशासनिक, विधि, पत्रकारिता, साहित्य व सामाजिक)

(च) अनुवाद (वाक्यों का)
हिन्दी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिन्दी

षष्ठम प्रश्नपत्र

हिन्दी निबंध लेखन

1.	प्रथम निबंध (लगभग 1000 शब्दों में)	:	अंक – 50
2.	द्वितीय निबंध (लगभग 250 शब्दों में)	:	अंक – 25
3.	तृतीय निबंध (लगभग 250 शब्दों में)	:	अंक – 25
	योग–अंक–		100

STATE SERVICE MAIN EXAMINATION

SYLLABI

PAPER I -GENERAL STUDIES -(I)

1. HISTORY AND CULTURE

1.1 World History –
Renaissance,
Revolution of England,
French Revolution,
Industrial Revolution
Russian Revolution.
World War I and II .

1.2 Indian History -
Political, Economical and Social history of India from Harappa civilization to 10th Century A.D.

1.3 Moguls and their administration, emergence of composite culture, Political, Economical and Social history of Central India from 11th to 18th Century A.D.

1.4 Impact of British Rule on Indian economy and society,
Indian response to British Rule : Peasant and tribal revolts,
The First Struggle of Independence.

1.5 Indian 'Renaissance: The Freedom, National Movement and its leaders (with special reference to M.P.).

1.6 Emergence of India as a Republic, Reorganization of States, Formation of M.P.
Major events of the post independence period.

1.7 Indian Culture, Heritage with special reference to M.P. : Salient aspects of Art Forms, Literature, Festivals & Architecture from ancient to modern times.
World Heritage sites in India, Tourism in Madhya Pradesh.

2. GEOGRAPHY

2.1 Salient features of physical geography of India and the world,

2.2 Distribution of key natural resources,
Agro-climatic zones and
Industries in M.P.

2.3 Demography of India and M.P., Tribes of Madhya Pradesh with particular reference to vulnerable tribes.

2.4 Agro ecology and its relevance to man, sustainable management and conservation. Major crops of the state, holdings and cropping patterns, physical and social environment of crop distribution and production. Issues and challenges related with quality and supply of seed, manure, farming practices, horticulture, poultry, dairy, fisheries and animal husbandry etc. agriculture produce, transport, storage and marketing in the state.

Soil : Physical, chemical and biological properties, Soil process and factors

of soil formation, mineral and organic constituents of soil and their role in maintaining soil productivity. Essential plant nutrients and other beneficial elements in soils and plants. Problem soils and their reclamation methods. Problems of soil erosion and Soil degradation in Madhya Pradesh. Soil conservation planning on watershed basis.

2.5 Food processing and related industries in India- scope and significance, location, upstream and downstream requirements, supply chain management.
Land reforms in India.

3. Water Management

3.1 Ground water and Watershed management.
3.2 Water usage and efficient irrigation systems.
3.3 Drinking Water: supply, factors of impurity of water and quality management.

4. Disaster and its management

4.1 Man-made and Natural disasters: Concept and scope of disaster management, specific hazards and mitigation.
4.2 Community planning: Resource Mapping, Relief & Rehabilitation, preventive and administrative measures, Safe construction, Alternative communication and survival skills.
4.3 Case studies - Chernobyl Atomic Plant Tragedy 1986, Bhopal Gas Tragedy 1984, Kutch Earthquake 2001 , Indian Tsunami 2004,
Fukushima Daiichi Japan Nuclear Disaster 2011, Uttrakhand Flash Flood 2013, Ujjain Tragedy 1994, Allahabad Kumbh Stampede 2013, J & K Flood 2014 etc.

PAPER II -GENERAL STUDIES -(II)

1. The Constitution, the Political and Administrative Structure of Governance.

1.1 Constitution drafting committee, The Constitution of India, The Preamble, Basic Structure, Fundamental Rights and Duties and Directive principles of state policy, Schedules of the Constitution, Constitutional amendments. Comparison of the Indian Constitution with that of other countries.
1.2 Centre and State Legislature.
1.3 Centre and State Executive.
1.4 Judiciary - Supreme Court, High Court, District and Subordinate Courts, Contempt of Court.
1.5 Nature of the Indian Union, Centre-State Relations, Division of Power (Centre List, State List and Concurrent List). Distribution of resources.
1.6 Decentralization and peoples participation in Democratic Governance. Local Self Government, 73rd and 74th amendment of Constitution. The Panchayats, The Municipalities. (Rural and Urban Local Governance)
1.7 Lokpal, Lokayukt and Lok Nyayalaya -Judiciary as a watch-dog protecting the Constitutional Order- Judicial Activism, Public Interest Litigation.
1.8 Accountability and Rights :-
Competition Commission, Consumer Courts, Information Commission

Women Commission, Human Rights Commissions, SC/ ST/OBC Commissions, other redressed agencies / authorities. Transparency and Accountability, Right to Information, Right to Services, Utilization of public funds.

1.9 Democracy at work,
Political Parties, Political Representation, Citizens Participation in Decision Making.

1.10 Elections,
Election Commission, Electoral reforms.

1.11 Emergence of Community Based Organizations (CBOs) and Non Government Organizations (NGOs);
Self Help Groups.

1.12 Issues and role of media (Electronic, Print and Social)

2. Security issues: External and Internal.

3. Social & Some Important Legislation:

3.1 Indian society, Social Legislation as an instrument of Social Change.
3.2 The Protection of Human Rights Act, 1993
3.3 Protection to Women Women & Criminal Law [Under Indian Constitution Law & criminal Procedure code]
3.4 Protection of Women From Domestic Violence Act-2005
3.5 The Protection of Civil Rights Act, 1955,
3.6 The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989,
3.7 Right to Information Act, 2005,
3.8 Environment (Protection) Act, 1986,
3.9 The Consumer Protection Act, 1986,
3.10 Information Technology Act, 2000,
3.11 The Prevention of Corruption Act, 1988
3.12 The Madhya Pradesh Lok Sewaon ke Pradan ki Guarantee Adhiniyam-2010

4- Social Sector - Health, Education & Empowerment -

4.1 Health services, Preventive and curative health programmes in India / M.P. with an emphasis on children and women's health.
Issues related to availability of curative health to all. Availability of doctor & Paramedical staff. Health services in rural area.

4.2 Malnutrition, its causes and effects and Govt. programmes for supplementary Nutrition

4.3 The technological interventions in the field of Immunology, Immunization, Family health, Biotechnology, Communicable and non-communicable diseases and remedies.

4.4 Vital statistics

4.5 W.H.O.-Objectives, Structures, functions and its programmes.

5- Education systems -

Education as a tool of HR development, Universal elementary education,

Quality of Higher and Technical, Vocational Education. Issues related to girls education, under privileged classes and differently abled classes.

6- Human resource development -

Availability of skilled manpower, employability and productivity of human resource of India, trends of employment, role of institutions like NCHER, NCERT, NIEPA, UGC, Open Universities, AICTE, NCTE, NCVT, ICAR, IITs, NITs. NLUs, IIMs, Polytechnic and ITIs etc. and human resource development.

7- Welfare programmes -

Welfare programmes and Issues related to -Aged people, Differently able people, Children, Women, Labour, Socially deprived Classes and Displaced groups of developmental projects.

8- Public Services-

Public Services, All India Services, Central Services, State Services, Constitutional Positions; Role and function, nature of function, Union Public Service Commission, M.P. State Public Service Commission. Training and Training Institutions of State and Centre in context of changing governance pattern.

9- Public Expenditure and Accounts-

Control over public Expenditure, Parliamentary control, Estimate Committee, Public Accounts Committee etc. Office of the Comptroller and Auditor General of India, Role of Finance Ministry in Monetary and Fiscal Policy, Composition and function of Accountant General of M.P.

10- International Organizations-

10.1 UN and its associate organizations.

10.2 IMF, The World Bank and Asian Development Bank

10.3 SAARC, BRICS, other Bilateral and Regional groupings

10.4 WTO and its impact on India.

PAPER III -GENERAL STUDIES -(III)

1. Science and Technology

1 Science

1.1 Matter in our surroundings, Elements, Compounds, Mixtures, Metals and Non-metals, Carbon and its compounds, Molecules, Atoms, Structure of atom. Chemical reactions, Acids, Bases and Salts.

1.2 Organism, Types of organisms, Tissues, Fundamental unit of life-Cell, Life processes’, Metabolism, Control and Coordination, Reproduction, Heredity and Evolution.

1.3 Gravitation, Motions, Force, Laws of Motion, Work and Energy, Light, Sound, Electricity and Magnetism.

2. Reasoning and Data Interpretation

2.1 Basic numeracy and Statistics (numbers and their relations), Probability.
2.2 Data handling and Interpretation (charts, graphs, tables, data sufficiency etc.).
2.3 Ratio and Proportion, Unitary method, Profit and Loss, Percentage, Discount, Simple and Compound Interest.
2.4 Mensuration : Area, Perimeter Volume.
2.5 Logical reasoning, Analytical ability and Problem solving.

3 Technology

3.1 Applications of Science and Technology in Social and Economic development, Indigenous technology, Transfer of technology and developing new Technologies.
3.2 Patents and Intellectual Property Rights. (TRIPS & TRIMS).
3.3 Contribution of Indians in the field of Science and Technology.

4. Emerging Technologies

4.1 Emerging technologies like Information and Communication Technology, Remote sensing, Space, GIS, GPS, Bio-technology & Nano-technology: their application in the field of Agriculture and Allied sectors, Health, E-Governance, Transport, Spatial Planning, Housing, Sports etc.

5. Energy

5.1 Conventional and Non-Conventional sources of energy.
5.2 Energy Management: Issues and challenges.
5.3 Current status of alternative sources of energy and their future prospects.

6. Environment and Sustainable Development

6.1 Environmental degradation: its causes, effects and remedies.
6.2 Environment protection laws, Policies and regulatory framework.
6.3 The Environment – development debate.
6.4 Solid, Effluent, Sewer, Medical, Hazardous and E-waste management.
6.5 Climate change: Causes and Remedial measures.
6.6 Ecological Prints and Coping strategies.

7. Indian Economy :-

7.1 Development Experience of India.
7.2 Causes of low Industrialization in MP.
7.3 Economic reforms since 1991: Industrial and Financial sector reforms, stock market and Banking systems.
7.4 Liberalization, Privatization and Globalization.
7.5 Current trends and challenges in the Indian Economy.
7.6 Development planning in India.
7.7 National Income and Accounting System.

7.8 Infrastructural development and issues.
7.9 Poverty, Unemployment, Regional Imbalances and Migration.
7.10 Urban issues, Urban development (social and economic infrastructure) and Housing for Low Income Groups.
7.11 Rural issues, Rural development (Social and economic infrastructure) and Rural Credit.
7.12 Indicator of development, Human development & Economic development.
7.13 Co-operative movement in India and M.P.
7.14 Importance of agriculture in M.P. and Indian economy.
7.15 Factors of economic development.
7.16 Issues of Direct and Indirect Subsidy for farm sector and other social sectors.
7.17 Public Distribution System : Objective, Functioning, Limitation, Issues of Buffer Stock and Food Security.

PAPER IV -GENERAL STUDIES -(IV)

1- Human needs and motivation

Ethics and Values in Public Administration: Ethical elements in governance – integrity, accountability and transparency, ethical reasoning and moral dilemmas, conscience as sources of ethical guidance. code of conduct for civil servants, values in governance.

2- Philosophers/Thinkers, Social workers/Reformers :–

Mahavir, Buddha, Kautilya, Plato, Aristotle, Gurunanak, Kabir, Tulsidas, Ravindra Nath Tagore, Raja Ram Mohan Roy, Swami Dayanand Saraswati, Swami Vivekanand, Sri Aurobindo, Mohandas Karamchand Gandhi, Sarvpalli Radhakrishnan , Bhimrao Ramji Ambedkar, Maulana Abul Kalam Azad, Deen Dayal Uppadhyaya, Ram Manohar Lohiya etc.

3- Attitude:

Content, Elements, Function Formation of attitude, attitudinal change, persuasive communication, Prejudice and discrimination, Stereotypes in Indian context.

4- Aptitude -

Aptitude and foundational values for Civil Service, integrity, impartiality and non-partisanship, objectivity, dedication to public service, empathy, tolerance and compassion towards the weaker-sections.

5- Emotional intelligence-

Emotional intelligence-concepts, their utilities and application in Administration and Governance.

6- Corruption:

Types andCauses of corruption, effects of corruption, approaches to minimizing corruption– role of society, media, family, whistleblower, UN Convention on Corruption, measuring corruption; Transparency International etc.

7- Case studies - based on the contents on the syllabus.